gradeup

राजनीति और शासन समसामयिकी अप्रैल २०२०

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co

भारतीय राजव्यवस्था और प्रशासन

'भारत में फंसा हुआ (स्ट्रैंडेड)' पोर्टल

खबरों में क्यों है?

• पर्यटन मंत्रालय ने 'भारत में फंसा हुआ (स्ट्रैंडेड)' नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है।

'भारत में फंसा हुआ (स्ट्रैंडेड)' पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

• इस पोर्टल का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए एक समर्थन नेटवर्क के रूप में कार्य करना है।

• पोर्टल स्ट्रैंडेड इन इंडिया.कॉम में कोविड-19 हेल्पलाइन नंबरों या कॉल-सेंटरों की व्यापक जानकारी है, जो विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए पहुंच सकते हैं।

• इसमें विदेश मंत्रालय के नियंत्रण केंद्रों के साथ-साथ उनकी संपर्क जानकारी और राज्य-आधारित/ क्षेत्रीय पर्यटन समर्थन बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी भी है।

• इसमें आगे की जानकारी की आवश्यकता वाले लोगों की मदद का विस्तार करने और विदेशी पर्यटकों को संबंधित अधिकारियों से जोड़ने के लिए एक सहायता और समर्थन अनुभाग भी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष

खबरों में क्यों है?

• विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री केयर कोष की स्थापना पर सवाल उठाया है क्यों कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पहले से ही अस्तित्व में है।

• कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) में 3,800 करोड़ रूपए [16 दिसंबर, 2019 तक] का बिना व्यय किया हुआ धन शेष है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संदर्भ में जानकारी

• प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) की स्थापना जनवरी, 1948 में हुई थी जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से विस्थापितों की सहायता करने की अपील की थी।

• यह पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान के साथ स्थापित किया गया था और इसे कोई बजटीय समर्थन नहीं मिला था।

• पी.एम.एन.आर.एफ. व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों और संस्थानों आदि से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करता है।

• पी.एम.एन.आर.एफ. में दिए गए सभी योगदान धारा 80 (G) के अंतर्गत आयकर से मुक्त हैं।

• पी.एम.एन.आर.एफ. के संसाधनों का उपयोग बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए किया जाता है।

• जरूरतमंद लोगो और तेजाब हमले के पीड़ितों आदि के हृदय सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर के चिकित्सा उपचार के लिए खर्चों को कम करने के लिए आंशिक रूप से सहायता प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस
स्रोत- द हिंदू

आरोग्यसेतु

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, भारत सरकार ने आरोग्यसेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो भारत के लोगों को कोरोनोवायरस महामारी के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई में एक साथ लाने में मदद करता है।

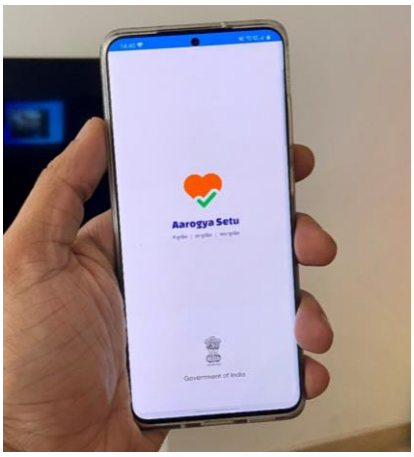

आरोग्यसेतु ऐप के संदर्भ में जानकारी

• यह एक बार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण और रोग मुक्त और राष्ट्र के स्वस्थ भविष्य के साथ युवा भारत की संभावनाओं के बीच एक सेतु है।
• यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है।
• यह प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए डिजिटल इंडिया में शामिल होता है।
• यह लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता का स्वमूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा।
• यह अत्याधुनिक ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिथ्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए दूसरों के साथ आपके संपर्क के आधार पर जोखिम की गणना करेगा।

लाभ:

• यह ऐप भारत को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के जोखिम का मूल्यांकन करने और जहां आवश्यक हो, वहां आइसोलेशन को अपनाने को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक समय पर कदम उठाने में मदद करेगा।
• ऐप का डिज़ाइन गोपनीयता-पहले सुनिश्चित करता है।
• ऐप द्वारा एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाता है और यह तब तक फोन पर सुरक्षित रहता है जब तक यह चिकित्सा हस्तक्षेप की सुविधा के लिए आवश्यक नहीं होता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- स्वास्थ्य मुद्दा
स्रोत- द हिंदू

ई-एन.ए.एम. प्लेटफॉर्म

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एन.ए.एम.) प्लेटफ़ॉर्म के नए फीचर लॉन्च किए हैं।

यह कैसे काम करता है?

• यह किसानों द्वारा कृषि विपणन को मजबूती प्रदान करेगा जो अपनी फसल की उपज को बेचने के लिए शारीरिक रूप से थोक मंडियों में आने की आवश्यकता को कम कर देंगे, ऐसे समय में जब कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए मंडियों में भीड़ कम करने की आवश्यकता है।

ये सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हैं, जिनके नाम हैं:

• ई-एन.डब्ल्यू.आर. पर गोदाम आधारित व्यापार की सुविधा प्रदान करने हेतु ई-एन.ए.एम. सॉफ्टवेयर में गोदाम आधारित व्यापार मॉड्यूल

• ई-एन.ए.एम. में एफ.पी.ओ. व्यापार मॉड्यूल, जिससे एफ.पी.ओ. अपनी उपज का ए.पी.एम.सी. में लाए बिना अपने संग्रह केंद्र से व्यापार कर सकता है।

• अपने अधिकार क्षेत्र में अंतर-मंडी और अंतर-राज्य व्यापार की सुविधा प्रदान करने के लिए लॉजिस्टिक मॉड्यूल का एक वर्धित संस्करण जारी किया गया है।

ई-एन.ए.एम. के संदर्भ में जानकारी

• इसे 2016 में अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया था, जो राज्यों में कृषि उपज बाजार समिति- ए.पी.एम.सी. को जोड़ता था।

• ई-एन.ए.एम. संपर्क रहित दूरस्थ बोली और मोबाइल-आधारित किसी भी समय भुगतान की सुविधा प्रदान करता है जिसके लिए व्यापारियों को या तो मंडियों या बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

पी.आई.बी. की कोविड-19 तथ्य जांच यूनिट

खबरों में क्यों है?

• प्रेस सूचना ब्यूरो की कोविड-19 तथ्य जांच यूनिट (एफ.सी.यू.) हाल ही में चालू हुई है, जो नॉवेल कोरोनावायरस महामारी से संबंधित तथ्यों की जाँच करती है।

कोविड-19 तथ्य जांच यूनिट के संदर्भ में जानकारी

• इस यूनिट का नेतृत्व ब्यूरो के महानिदेशक नितिन वाकनकर करते हैं।

• यह ईमेल द्वारा संदेश प्राप्त करेगा और एक निर्धारित समय-सीमा में प्रतिक्रिया भेजेगा।

• कोविड-19 पर किसी भी समाचार का आधिकारिक संस्करण इकाई से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रेस सूचना ब्यूरो के संदर्भ में जानकारी

• यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्रसारित करती है।

• यह सरकार और मीडिया के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

• यह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति, लेखों, तस्वीरों आदि के माध्यम से सरकारी जानकारी प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- शासन

स्रोत- पी.आई.बी.

प्रोजेक्ट प्राण

खबरों में क्यों है?

• भारतीय विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिकों और छात्रों ने प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया है।

प्रोजेक्ट प्राण के संदर्भ में जानकारी

• संकट के समय राष्ट्र की मदद करने के लिए यह परियोजना, एक स्वैच्छिक प्रयास है।

• इस प्रोटोटाइप में द्रव्यमान प्रवाह सेंसर और नियंत्रक होते हैं, जो सटीक रूप से बताते हैं कि कितनी ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है और मरीज एक सांस में कितना आयतन अंदर ग्रहण कर रहा है।

• न्यूमेटिक्स को द्रव्यमान उत्पादित पानी फिल्टर हार्डवेयर के आसपास बनाया गया है।

• नियंत्रण प्रणाली ओपन-सोर्स औद्योगिक नियंत्रक के आसपास बनाई गई है।

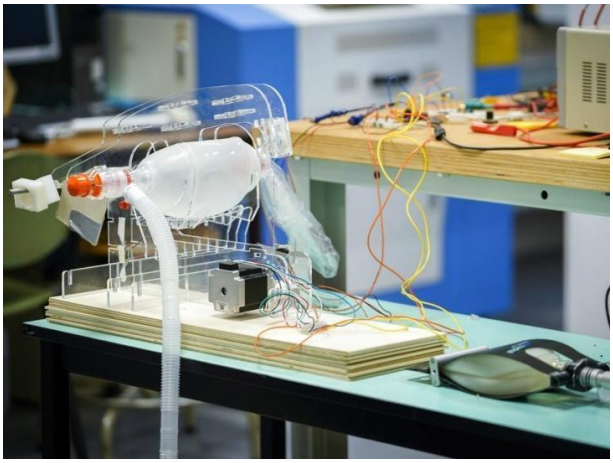

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

जियो-फेंसिंग ऐप

खबरों में क्यों है?

हाल ही में, केंद्र देश भर में जियो-फेंसिंग ऐप की मदद से कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने के लिए प्रत्येक 15 मिनट में टेलीकॉम कंपनियों से "सूचना प्राप्त करने" के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग कर रहा है।

यह कैसे काम करता है?

• यह किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन के सेल टॉवर स्थान के आधार पर किसी अधिकृत सरकारी एजेंसी को ईमेल और एस.एम.एस. अलर्ट भेजता है, यदि किसी व्यक्ति ने क्वारंटाइन का उल्लंघन किया है अथवा वह आइसोलेशन से भाग गया है।

• "जियो-फेंसिंग" 300 मीटर तक सटीक है।

कानूनी अधिकार

• राज्यों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत अपने गृह सचिव की मंजूरी लेने के लिए कहा गया है, निर्दिष्ट मोबाइल फोन नंबरों के लिए भू-फेंसिंग का उल्लंघन करने के मामले में ईमेल या एस.एम.एस. द्वारा जानकारी देने का अनुरोध करने के लिए डी.ओ.टी. से अनुरोध किया गया है।

• हाल ही में, दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) ने कोविड-19 क्वारंटाइन चेतावनी प्रणाली (सी.क्यू.ए.एस.) नामक एप्लिकेशन के बारे में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) साझा की है।

• यह सिस्टम, एक सामान्य सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर डिवाइस लोकेशन सहित फोन डेटा को जांचता है और निगरानी में अथवा आइसोलेशन में रखे गए कोविड-19 रोगियों द्वारा उल्लंघन किए जाने की दशा में स्थानीय एजेंसियों को सचेत करेगा।

• सी.क्यू.ए.एस. मोबाइल नंबरों की एक सूची तैयार करेगा, जो उन्हें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आधार पर अलग करेगा और जियो-फेंसिंग का निर्माण करने हेतु कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए लोकेशन डेटा को एप्लीकेशन पर संचालित किया जाएगा।

गोपनीयता संबंधी चिंताएं

• एकत्र किए गए डेटा का उपयोग केवल कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए किया जाएगा और कड़ाई से किसी अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन होने पर संबंधित कानूनों के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा।

डेटा डिलीट कर दिया जाएगा:

• उस फ़ोन नंबर को एक अवधि के बाद को सिस्टम से हटा दिया जाना चाहिए, जिस अवधि के लिए स्थान की निगरानी की आवश्यकता होती है और उसके बाद से चार सप्ताह बाद डेटा डिलीट कर दिया जाएगा।

नोट: केरल, कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने के लिए भू-फेंसिंग उपयोग करने वाले राज्यों में से पहला राज्य है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- शासन

स्रोत- द हिंदू

'लॉकडाउन' के बीच भारत में लागू किए गए कानून

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, गृह मंत्रालय ने कहा है कि रोकथाम के उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को आई.पी.सी. की धारा 188 के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा।

आई.पी.सी. और आपदा प्रबंधन के संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं:

i. अवज्ञा के लिए

• आई.पी.सी. की धारा 188, एक लोक सेवक द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने वालों से संबंधित है और ऐसे व्यक्तियों हेतु एक से छह महीने तक कारावास का प्रावधान करता है।

• महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों का उल्लंघन करने वालों के लिए आई.पी.सी. की धारा 188 वह प्रावधान है जिसके अंतर्गत सजा दी जाती है।

• **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 में दो प्रकार के अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है:**

○ किसी कार्य के निर्वहन के लिए किसी भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्ति या सरकार के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बाधित करना

○ अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के अनुपालन से इनकार करना।

○ दोषसिद्धि पर सजा को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है यदि प्रतिषेध करने पर जानमाल का नुकसान होता है या कोई आसन्न खतरा होता है।

ii. भय फैलाने के लिए

• आई.पी.सी. की धारा 505 उन व्यक्तियों हेतु तीन वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों के लिए प्रावधान प्रदान करती है, जो किसी ऐसी चीज को प्रकाशित या प्रसारित करते हैं जिससे डर या चेतावनी पैदा होने की संभावना होती है।

• आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 में उन लोगो के लिए कैद की सजा का प्रावधान है, जो एक आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण के बारे में गलत अलार्म या चेतावनी बनाने या प्रसारित करते हैं, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. सहायता के लिए झूठे दावे हेतु

• आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत कोई भी किसी भी आधिकारिक प्राधिकरण से "किसी भी राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य लाभों" को प्राप्त करने का झूठा दावा करता है, उसे अधिकतम दो वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है और उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा।

iv. कर्तव्यों को पूरा करने से इंकार करने के लिए

• अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अधिकारी के द्वारा दिए गए कार्य को करने से इंकार करने या वापस लेने के मामले में अधिकारी को एक वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।
• हालांकि, जिन लोगों के पास वरिष्ठ की लिखित अनुमति या ऐसी सजा से छूट प्राप्त करने हेतु कोई भी कानूनी आधार है।
• राज्य या केंद्र सरकार से स्पष्ट मंजूरी के बिना कोई भी केस शुरू नहीं किया जा सकता है।

v. मदद करने से इंकार करने हेतु

• कोई भी अधिकृत प्राधिकारी अधिनियम संसाधनों के अंतर्गत व्यक्तियों और भौतिक संसाधनों, भूमि या भवन जैसे परिसरों या बचाव कार्यों के लिए शेड और वाहनों जैसे आवश्यक कार्य कर सकता है।
• हालांकि अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का प्रावधान है, जो भी व्यक्ति इस तरह के आदेश की अवहेलना करेगा उसे एक वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

नीति आयोग के अंतर्गत 'सशक्त समूह'

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, सरकार ने निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोविड-19 से निपटने में आने वाली चुनौतियों और नियोजित योजनाबद्ध कार्यों पर चर्चा करने के लिए एक सशक्त समूह की स्थापना की है।

सशक्त समूह के संदर्भ में जानकारी

• सशक्त समूह की अध्यक्षता नीति आयोग के सी.ई.ओ. अमिताभ कांत कर रहे हैं।

उद्देश्य

• यह सशक्त समूह समस्याओं की पहचान, प्रभावी समाधान और हितधारकों के तीन समूहों के साथ योजनाओं के निर्माण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करेगा।

ये हितधारक हैं:

• संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक
• सिविल सोसायटी संगठन और विकास भागीदार
• उद्योग संघ- सी.आई.आई., फिक्की, एसोचैम, नैसकॉम

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

लाइफलाइन उड़ान फ्लाइटें

खबरों में क्यों हैं?

• नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नॉवेल कोरोनवायरस वायरस के खिलाफ भारत के युद्ध के हिस्से के रूप में "लाइफलाइन उड़ान" लॉन्च किया है।

लाइफलाइन उड़ान फ्लाइटों की पहल के संदर्भ में जानकारी

• इस पहल के अंतर्गत, पूरे देश में आवश्यक और चिकित्सा आपूर्ति की आवाजाही के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं।

• लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत फ्लाइटों का समन्वय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत स्थापित एक कंट्रोल रूम द्वारा किया जा रहा है।

• लाइफलाइन उड़ान के कार्गो में कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा उपकरण, अभिकर्मक, एंजाइम, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी.पी.ई.), परीक्षण किट, मास्क, दस्तानों के साथ ही कोरोना वारियर्स द्वारा आवश्यक अन्य सामान शामिल हैं।

विशेष रूप से ध्यान केंद्रित

• उत्तर पूर्व क्षेत्र, द्वीप क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

• लाइफलाइन उड़ान उत्तर पूर्व क्षेत्र को कोलकाता, गुवाहाटी और बागडोगरा में क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से जोड़ता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

'करूणा- प्राकृतिक आपदाओं में सहायता हेतु सिविल सेवा संघ पहुँच

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोनोवायरस से लड़ने में सरकार के प्रयासों का समर्थन करने और उन्हें पूरक बनाने के लिए करूणा नामक एक पहल की शुरूआत की है।

यह कैसे प्रभावित करेगा?

• कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार का समर्थन करने के लिए सिविल सेवा संघों- करूणा- प्राकृतिक आपदाओं में सहायता हेतु सिविल सेवा संघ पहुँच से IFS, IPS, IFoS, IRS (IT), IRS (C & E), IRPS, IRTS, IPOS, IA&AS, IDES, ICAS, IIS & IAS CARUNA - प्राकृतिक आपदाओं में सहायता हेतु एक प्रौद्योगिकी मंच है।

• करूणा वास्तविक समय के आधार पर प्रशंसनीय सरकारी पहलों का समर्थन करेगा और इन्हें पूरक बनाएगा, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और माईगॉव मंच के साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित टास्क फोर्स को प्रासंगिक जानकारी साझा करके समन्वित तरीके से उनकी सहायता करेगा।

• करूणा मंच ने पहले ही सरकारों और क्षेत्र-स्तर के अधिकारियों दोनो के समर्थन के प्रचालन के लिए 10-दिवसीय कार्य योजना बनाई है।

• इसने निम्न पर थीम (थ्रेड्स ऑन स्लैक कहा जाता है- स्लैक एक मालिकाना इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे स्लैक टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है) बनाई हैं:

a. स्वास्थ्य कर्मचारियों आदि के लिए क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण सहायता आदि
b. स्वास्थ्य उपकरण निर्माताओं आदि का डेटाबेस की तुलना करना
c. प्रवास से संबंधित मुद्दों और अस्थायी आश्रयों को कम करना
d. इसकी वेबसाइट के अनुसार, टीम के समर्पित सदस्यों द्वारा मानी गई विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों आदि पर काम करना।

करूणा पहल के संदर्भ में जानकारी

• 'करूणा' एक सहयोगी मंच है। संक्षिप्त नाम करूणा का पूरा नाम प्राकृतिक आपदाओं में सहायता हेतु सिविल सेवा संघ पहुँच है।
• यह एक सहयोगी मंच का प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर सिविल सेवक, उद्योग प्रमुख, एनजीओ पेशेवर और अन्य के बीच आई.टी. पेशेवर अपने समय और क्षमताओं का योगदान करने के लिए एक साथ आए हैं।
• इसने सरकार से आदेश भी मांगे हैं। एस.ओ.पी., प्रोटोकॉल, सर्वोत्तम प्रथाओं, आई.ई.सी. सामग्री और विभिन्न हितधारकों से प्रेरक कहानियां शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) योजना

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एम.पी.एल.ए.डी.एस. के दो वर्ष (2020-21 और 2021-22) के गैर-संचालन को मंजूरी प्रदान की है।
• इन निधियों का उपयोग देश में कोविड-19 की चुनौतियों और प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन में सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) योजना के संदर्भ में जानकारी

• सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) को 23 दिसंबर, 1993 को लॉन्च किया गया था।
• प्रारंभ में, ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय था। फिर अक्टूबर, 1994 में इस योजना की नोडल एजेंसी के रूप में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था।

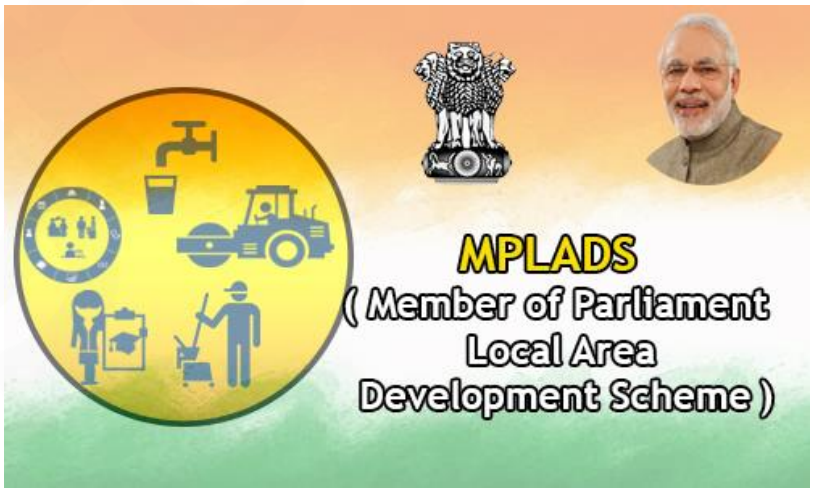

Gradeup Green Card
Unlimited Access to 100+ Mock Tests
UPSC CSE, UPSC EPFO & State PCS Exams
Enrol Now

एम.पी.एल.ए.डी.एस. योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतय: वित्तपोषित एक केंद्रीय योजना है, जिसके अंतर्गत निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जिला अधिकारियों को अनुदान के रूप में जारी किया जाता है।
- योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि गैर-देय हैं अर्थात किसी विशेष वर्ष में जारी किए गए धन का हकदार पात्रता के अधीन बाद के वर्षों के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता है।
- एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अंतर्गत, सांसदों की भूमिका कार्यों की अनुशंसा करने के लिए सीमित है।
- इसके बाद, निर्धारित समयसीमा के भीतर सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों को मंजूरी देना, निष्पादित करना और पूरा करना जिला प्राधिकरण की जिम्मेदारी है।

नोट:

- निर्वाचित लोकसभा सदस्य अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उस राज्य में कहीं भी काम करने की सिफारिश कर सकते हैं, जहाँ से वे चुने गए हैं।
- लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यान्वयन हेतु कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

वॉक मी प्लेटफार्म

खबरों में क्यों है?

- उद्यमों के बीच डायनामिक्स 365 के अनुकूलन को गति प्रदान करने में मदद करने के लिए तकनीक का कुशलतापूर्वक और उत्पादकता से उपयोग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रमुख डिजिटल अनुकूलन प्लेटफॉर्म वॉक मी के साथ साझेदारी की है।

यह प्लेटफ़ॉर्म कैसे काम करता है?

- कंपनियां अब उद्यमी संगठनों को बिना किसी विस्तार के माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 के शीर्ष पर वॉक मी के डिजिटल अनुकूलन प्लेटफ़ॉर्म को आसानी से तैनात करने की अनुमति दे सकने में सक्षम होंगी।

• वॉक मी, दुनिया भर में अग्रणी संगठनों को एक ऑलराउंड समाधान प्रदान करता है, जिससे उन्हें कर्मचारी और ग्राहक उपयोगकर्ता को अपनाने और संगठन के लिए एक सुचारू डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

• यह बिक्री के लिए उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने को आसान बनाता है और अपने प्रौद्योगिकी भंडार के भीतर डायनामिक्स 365 की पूर्ण क्षमता का एहसास करने को भी आसान बना देगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2-गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

सांसदों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020

खबरों में क्यों है?

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नॉवेल कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए संसाधन जुटाने के लिए देश के सभी सांसदों (एम.पी.) के वेतन को एक साल के लिए 30 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की है।

• सांसदों के वेतन में कटौती को सांसद अधिनियम, 1954 के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन करके लागू किया जाएगा।

धारा 3 का संशोधन

• इस उद्देश्य के लिए, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को देय वेतन का 30% तक कम करने के लिए सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 में एक नई उप-धारा जोड़ी गई है।

• यह 1 अप्रैल, 2020 से एक वर्ष के लिए लागू होगी।

अनुच्छेद 123 का संवैधानिक प्रावधान

• संविधान का अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को तब अध्यादेशों की घोषणा करने के लिए कुछ निश्चित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जब संसद के दोनों सदनों को सत्रों में शामिल नहीं किया जाता है और इसलिए संसद में कानून बनाना संभव नहीं है।

• कार्यपालिका की अध्यादेश बनाने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित सीमाएँ मौजूद हैं:

a. **विधायिका सत्र में नहीं होती है:** राष्ट्रपति केवल एक अध्यादेश की घोषणा कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र में उपस्थित नहीं होता है।

b. **तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है**: राष्ट्रपति तब तक अध्यादेश की घोषणा नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह संतुष्ट न हों कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके लिए 'तत्काल कार्रवाई' की आवश्यकता है।

c. **सत्र के दौरान संसदीय अनुमोदन:** संसद को पुन: समायोजन से छह सप्ताह के भीतर अध्यादेशों को मंजूरी देनी चाहिए या वे कार्य करना बंद कर देंगे।

• वे दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश पारित के साथ असहमति रखने वाले संकल्प के मामले में भी काम करना बंद कर देंगे।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) के मंत्री

• मंत्रिमंडल ने दो वर्ष (2020-21 और 2021-22) के लिए एम.पी.एल.ए.डी.एस निधि (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मंत्री) के अस्थायी निलंबन को भी लागू कर दिया है।

• दो वर्ष के लिए एम.पी.एल.ए.डी.एस निधि के निलंबन से तात्पर्य है कि 7900 करोड़ रूपए की धनराशि भारत के समेकित कोष में दी जाएगी।

यह क्या है?

• इसे दिसंबर, 1993 में शुरू किया गया था, जिससे कि सांसदों के लिए स्थायी सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए विकासात्मक प्रकृति के कामों की सिफारिश करने और स्थानीय स्तर पर महसूस की गई आवश्यक्ताओं के आधार पर सामुदायिक बुनियादी ढांचा सहित बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था की जा सके।
• एम.पी.एल.ए.डी.एस., भारत सरकार द्वारा पूर्णतय: वित्त पोषित एक नीति योजना है।
• प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए वार्षिक एम.पी.एल.ए.डी.एस निधि पात्रता 5 करोड़ रुपए है।

विशेष ध्यान:

• सांसदों को प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एक वर्ष के लिए एम.पी.एल.ए.डी.एस. पात्रता के कम से कम 15 प्रतिशत लागत के और अनुसूचित जनजाति की आबादी के निवास वाले क्षेत्रों के लिए 7.5 प्रतिशत की लागत के काम की सिफारिश करनी होती है।
• जनजातीय लोगों की बेहतरी के लिए ट्रस्ट और समाजों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन ट्रस्टों और सोसाइटियों द्वारा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 75 लाख रूपए की सीमा निर्धारित है।

कार्यों की सिफारिश:

• लोकसभा सदस्य, अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
• राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य उस राज्य में कहीं भी काम करने की सिफारिश कर सकते हैं, जहाँ से वे चुने गए हैं।
• लोकसभा और राज्यसभा के नामित सदस्य देश में कहीं भी कार्यान्वयन के लिए काम का चयन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पी.एम.बी.जे.पी.)

खबरों में क्यों हैं?

• प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र के "स्वास्थ्य के सिपाही" के रूप में लोकप्रिय फार्मासिस्ट, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पी.एम.बी.जे.पी.) के अंतर्गत रोगियों और बुजुर्गों के घरों तक आवश्यक सेवाएँ और दवाएँ दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के संदर्भ में जानकारी

• प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पी.एम.बी.जे.पी.), जन-जन को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। पी.एम.बी.जे.पी. स्टोर जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कम कीमतों पर उपलब्ध हैं लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता के संदर्भ में महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर हैं।
• फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने इसे नवंबर, 2008 में जन औषधि अभियान नाम से लॉन्च किया था।
• ब्यूरो ऑफ फार्मा पी.एस.यू. ऑफ इंडिया (बी.पी.पी.आई.), पी.एम.बी.जे.पी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

दृष्टिकोण

यह एक नागरिक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी बजट व्यय को कम करने की परिकल्पना करता है। यह सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को सुनिश्चित करना चाहता है।

मिशन

• जेनेरिक दवाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना

• चिकित्सा चिकित्सकों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की मांग बनाना
• शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता पैदा करना कि अधिक मूल्य को उच्च गुणवत्ता का पर्याय नहीं होना चाहिए।
• सभी चिकित्सीय समूहों को कवर करने वाली सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करना
• योजना के अंतर्गत सभी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद भी प्रदान करन

उद्देश्य

• नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा में जेब खर्च को कम करने के लिए विशिष्ट आउटलेट "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र" के माध्यम से सभी के लिए मुख्य रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराना है।
• यह "किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं" की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पी.एम.बी.जे.पी.)

खबरों में क्यों हैं?

• प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र के "स्वास्थ्य के सिपाही" के रूप में लोकप्रिय फार्मासिस्ट, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पी.एम.बी.जे.पी.) के अंतर्गत रोगियों और बुजुर्गों के घरों तक आवश्यक सेवाएँ और दवाएँ दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के संदर्भ में जानकारी

• प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पी.एम.बी.जे.पी.), जन-जन को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। पी.एम.बी.जे.पी. स्टोर जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कम कीमतों पर उपलब्ध हैं लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता के संदर्भ में महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर हैं।
• फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने इसे नवंबर, 2008 में जन औषधि अभियान नाम से लॉन्च किया था।
• ब्यूरो ऑफ फार्मा पी.एस.यू. ऑफ इंडिया (बी.पी.पी.आई.), पी.एम.बी.जे.पी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

दृष्टिकोण

यह एक नागरिक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी बजट व्यय को कम करने की परिकल्पना करता है। यह सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को सुनिश्चित करना चाहता है।

मिशन

• जेनेरिक दवाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना
• चिकित्सा चिकित्सकों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की मांग बनाना
• शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता पैदा करना कि अधिक मूल्य को उच्च गुणवत्ता का पर्याय नहीं होना चाहिए।
• सभी चिकित्सीय समूहों को कवर करने वाली सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करना
• योजना के अंतर्गत सभी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद भी प्रदान करना

उद्देश्य

• नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा में जेब खर्च को कम करने के लिए विशिष्ट आउटलेट "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र" के माध्यम से सभी के लिए मुख्य रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराना है।

• यह "किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं" की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020

खबरों में क्यों है?

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान के लिए धन्यवाद अदा करने हेतु प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है।

• डब्ल्यू.एच.ओ. ने वर्ष 2020 को "ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ" के रूप में चुना है क्यों कि नर्सों और मिडवाइफों (दाइयों) द्वारा दिए गए योगदान के कारण दुनिया को एक स्वस्थ स्थान बनाने में सहयोग मिल रहा हैं।

• विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम नर्सों और मिडवाइफों का समर्थन करना है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020: इतिहास

• डब्ल्यू.एच.ओ. ने वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य दिवस अभियान की शुरुआत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और आवश्यक सहायता की पेशकश के उद्देश्य से की थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चिंता के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उजागर करने के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य थीम के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

नोट: डब्लू.एच.ओ. ने 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020' भी जारी की है, जो "वैश्विक नर्सिंग कार्यबल के लिए नीतिगत और नवीनतम विकल्प" प्रदान करती है। यह रिपोर्ट नर्सिंग शिक्षा, नौकरियों और नेतृत्व में उच्च निवेश के लिए भी एक केस बनाती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

समाधान- एम.एच.आर.डी. नवाचार इकाई

खबरों में क्यों है?

• कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.ओ.एच.आर.डी.) ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए "समाधान" लॉन्च किया है।

समाधान के संदर्भ में जानकारी

• यह फोर्ज और इनोवेटियोक्यूरिस के सहयोग से एम.ओ.एच.आर.डी. की नवाचार इकाई और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक पहल है।

• इसका उद्देश्य छात्रों की नवाचार करने की क्षमता का परीक्षण करना है।

• "समाधान" चुनौती के अंतर्गत, छात्रों और संकायों को नए प्रयोग और खोज करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें प्रयोग और खोज की भावना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- टी.ओ.आई.

सेफ प्लस योजना

खबरों में क्यों है?

• भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने कोरोनावायरस (सेफ प्लस) के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को सुगम बनाने के लिए सिडबी सहायता शुरू की है।

उद्देश्य

• इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए हैंड सेनिटाइज़र, मास्क, दस्ताने, हेडगियर, बॉडीसूट्स, शू-कवर, वेंटिलेटर और चश्मे जैसे आवश्यक सामानों के विनिर्माण में शामिल हैं।

• यह न्यूनतम औपचारिकताओं और बिना किसी अपेक्षित संपार्श्विक संपत्ति के साथ धन को त्वरित रूप से जारी करने को सुनिश्चित करना चाहता है।

यह किस प्रकार फायदेमंद होगी?

• अपने स्पष्ट सरकारी ऑर्डरों पर लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) द्वारा एक करोड़ रुपये तक की आपातकालीन कार्यशील पूंजी का लाभ उठाया जा सकता है।
• कोरोनावायरस के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया को सुगम बनाने के लिए सिडबी सहायता है- सेफ प्लस संपार्श्विक-मुक्त ऋण की पेशकश करता है और 48 घंटो के भीतर ऋण का वितरण करता है।
• पांच प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
• कुछ दिनों पहले घोषित सेफ ऋण की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपए कर दी गई है।

पात्रता मापदंड

A. **सेफ योजना:** मौजूदा सिडबी ग्राहक और नए सिडबी ग्राहक, दोनो इस ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
B. **सेफ प्लस योजना:** एम.एस.एम.ई. सरकार के आदेशों को क्रियान्वित करते हैं, जो कि ब्याज सब्सिडी/ आर्थिक सहायता या पूंजीगत सब्सिडी के लिए संबंधित राज्य सरकार के विशेष नीति पैकेज के अंतर्गत पात्र हैं, वे 2 करोड़ रूपए तक का ऋण ले सकते हैं।
C. **स्माइल:** सिडबी के मौजूदा ग्राहक या सिडबी के नए ग्राहक, दोनों ही शामिल हैं, जिनमें ग्रीनफ़ील्ड भी शामिल है।

क्या कवर किया गया है?

• कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा खरीदे जा रहे सभी चिकित्सा उत्पादों का उत्पादन या सेवाएं
• ऋण का उपयोग उपकरण, संयंत्र और मशीनरी या अन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया जा सकता है जिसमें उत्पादन या सेवा के लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद या अतिरिक्त आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए इन उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाना शामिल है।

क्या कवर नहीं है?

• ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, वे उत्पाद जो कोविड-19, व्यापार आदि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं।

तुलनात्मक पहलू:

सेफ	**सेफ प्लस**	**स्माइल**
एम.एस.एम.ई. को वित्त प्रदान करने के लिए जो कोरोनावायरस से लड़ने से संबंधित किसी भी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं या कोई भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जैसे कि अनुज्ञप्त दवाएं, सैनिटाइज़र, मास्क, बॉडीसूट्स, दस्ताने, जूता कवर, वेंटिलेटर, परीक्षण प्रयोगशाला आदि।	**एम.एस.एम.ई. को आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए, जो सरकार या सरकारी एजेंसियो के विशिष्ट आदेशों पर कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ाई से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं,**	**कोरोना वायरस से लड़ने से संबंधित अपनी आवश्यकताओं के लिए अस्पतालों, नर्सिंगहोम, क्लीनिक आदि सहित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध एक विशेष खिड़की है।**
सभी मौजूदा एम.एस.एम.ई. - चाहे सिडबी के मौजूदा ग्राहक हों या सिडबी के नए ग्राहक हों।		सिडबी के मौजूदा ग्राहक या सिडबी के नए ग्राहक, दोनों ही शामिल हैं, जिनमें ग्रीनफ़ील्ड भी

	शामिल है।
बिना संपार्श्विक	ऋण नीति के अनुसार
48 घंटे के भीतर	5 दिन
नोट: योजना के अंतर्गत निकासी 30 सितंबर, 2020 तक वैध है।	

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के संदर्भ में जानकारी

- सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के साथ-साथ समान गतिविधियों में संलग्न संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए कार्य करता है।
- इसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 2 अप्रैल, 1990 को स्थापित किया गया था (इस प्रकार, यह एक संवैधानिक निकाय है)।
- इसका मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
- इसका उद्देश्य एम.एस.एम.ई. के ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और मजबूत करना है और देश भर में एम.एस.एम.ई. पर्यावरण-प्रणाली में वित्तीय और विकासात्मक दोनों अंतरालों को संबोधित करना है।
- वर्तमान में, सिडबी के शेयर केंद्र सरकार और 29 अन्य संस्थानों के पास हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.), केंद्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली बीमा कंपनियां शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) पोर्टल

खबरों में क्यों है?

- भारत सरकार ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 के प्रबंधन के लिए "एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण" (iGOT) पोर्टल नामक एक प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है।

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, स्वच्छता कार्यकर्ता, तकनीशियन, सहायक नर्सिंग मिडवाइव्स (ए.एन.एम.), राज्य सरकार के अधिकारी, नागरिक सुरक्षा अधिकारी, विभिन्न पुलिस संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.), नेहरू

युवा केंद्र संगठन (एन.वाई.के.एस.), राष्ट्रीय सेवा योजना, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और अन्य स्वयंसेवक के लिए iGOT पर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

• यह महामारी को कुशलता से संभालने के लिए अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने पर भी केंद्रित है।

दीक्षा प्लेटफार्म के संदर्भ में जानकारी

• इसे वर्ष 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल के रूप में लॉन्च किया गया था।

• यह शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्ञान साझाकरण प्लेटफॉर्म है।

• यह एन.सी.ई.आर.टी. और राज्य पाठ्यक्रम से संबंधित व्याख्या, अभ्यास और मूल्यांकन सामग्री से सुसज्जित है।

• यह पोर्टल शिक्षण संस्थानों में शुरूआत से लेकर अंत तक, यहां तक कि शिक्षको के सेवानिवृत्त होने तक उनके संपूर्ण काम और उनकी उपलब्धि को रिकॉर्ड करेगा।

• यह शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

ऑपरेशन शील्ड (SHIELD)

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 'शील्ड' नामक एक व्यापक योजना की घोषणा की है।

इसका पूरा नाम क्या है?

संक्षिप्त SHIELD को निम्नानुसार विस्तृत किया जा सकता है:

• 'S' का अर्थ है इलाकों को सील करना

• 'H' का अर्थ है होम क्वारंटाइन करना

• 'I' का अर्थ है आइसोलेशन और ट्रेसिंग

• 'E' का अर्थ है आवश्यक आपूर्ति

• 'L' का अर्थ है स्थानीय स्वच्'छता

• 'D' का अर्थ है डोर-टू-डोर जांच

Gradeup Green Card
Unlimited Access to 100+ Mock Tests
UPSC CSE, UPSC EPFO & State PCS Exams
Enrol Now

शील्ड योजना के संदर्भ में जानकारी

- ऑपरेशन शील्ड को दिल्ली में रोकथाम क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले 21 इलाकों में लागू किया जाएगा।
- यह राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शील्ड नामक एक व्यापक योजना है।
- **इलाकों को सील करना:** एक इलाके के लोग अन्य क्षेत्रों में नहीं जाएंगे और ठीक इसके विपरीतत:।
- **होम क्वारंटाइन:** लोग केवल अपने घरों में ही रहेंगे।
- **आइसोलेशन और ट्रेसिंग:** कोविड-19 रोगियों को आइसोलेट किया जाएगा और जिन लोगों से वे मिले हैं, उनका पता लगाया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें भी आइसोलेट किया जाएगा।
- **आवश्यक आपूर्ति:** दिल्ली सरकार आवश्यक सेवाओं की डोर-टू-डोर डिलीवरी सुनिश्चित करेगी।
- **स्थानीय स्वच्छता:** स्थानीय क्षेत्रों को नियमित रूप से कीटाणुरहित किया जाएगा।
- **डोर-टू-डोर जांच:** सरकार प्रत्येक परिवार से पूछेगी कि क्या किसी व्यक्ति में कोरोनोवायरस के लक्षण है या नहीं है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो उनके नमूने लिए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

चित्रा एक्राइलोसॉर्ब स्राव जमना प्रणाली

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, श्री चित्रा तिरूनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.सी.टी.आई.एम.एस.टी.) के वैज्ञानिकों ने चित्रा एक्राइलोसॉर्ब स्राव जमना प्रणाली नामक एक सुपर शोषक सामग्री को डिजाइन और विकसित किया है।

चित्रा एक्राइलोसॉर्ब स्राव जमना प्रणाली क्या है

- यह तरल श्वसन और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के जमने के लिए एक अत्यधिक कुशल सुपर-शोषक सामग्री और संक्रमित श्वसन स्रावों के सुरक्षित प्रबंधन के लिए कीटाणुशोधन है।
- एम्बेडेड कीटाणुनाशक सामग्री के साथ एक सुपर-अवशोषक जेल, स्राव के भस्मीकरण से पहले स्राव के सुरक्षित संग्रह, समेकन और क्वारंटाइन के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है।

यह कैसे काम करता है?

• एक्राइलोसॉर्ब, अपने शुष्क भार की तुलना में कम से कम 20 गुना अधिक तरल को अवशोषित कर सकता है और इसमें आस-पास के विसंक्रमण हेतु कीटाणुरोधी लगा हुआ है।
• इस सामग्री से भरे कंटेनर दूषित तरल पदार्थ को जमाकर उसे स्थिर करेंगे (जेल-जैसे), इस प्रकार इसके छलकने से बचेंगे और इसे कीटाणुरहित भी करेंगे।

लाभ

• यह अस्पताल के कर्मचारियों के लिए जोखिम को कम करता है, बोतलों और कनस्तरों को पुन: उपयोग करने के लिए उन्हें कीटाणुरहित और साफ करने के लिए कर्मियों की आवश्यकता होती है और निपटान को सुरक्षित और आसान बनाता है।
• एक्राइलोसॉर्ब सक्शन कनस्तर, आई.सी.यू. के रोगियों या वार्डों में इलाज किए गए प्रचुर मात्रा में स्राव वाले रोगियों से तरल श्वसन स्राव एकत्र करेगा।
• श्वसन संबंधी संक्रमण वाले सफाई संबंधी मरीज के थूक और लार को जमाने के लिए सीलेबल और डिस्पोजेबल एक्राइलोसॉर्ब स्पिट बैग प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें बाद में जलाया जा सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

R0 या प्रजनन संख्या

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, शोधकर्ता कोरोनावायरस के संचरण की प्रकृति को समझने के लिए गणितीय आंकड़े ' R0' की गणना कर रहे हैं।

मूल प्रजनन संख्या (R0) क्या है

• यह उस दर को मापता है, जिस पर एक वायरस प्रसारित होता है, यह उन व्यक्तियों की औसत संख्या पर आधारित होती है, जो पहले से संक्रमित व्यक्ति से वायरस के संपर्क में आते हैं।
• R0= नए संक्रमण/ मौजूदा संक्रमण
• जब R0 **का मान** 1 होता है, तो इसका अर्थ है कि आबादी में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या नियत है। प्रत्येक व्यक्ति जो बीमारी से ठीक हो जाता है या मर जाता है, आबादी में एक नया केस होगा।
• इस तर्क से, आदर्श परिदृश्य तब होता है जब R0 **का मान** 1 से कम होता है, इसका अर्थ है कि संक्रमण कम लोगों तक प्रेषित होता है।
• जब इस दर को काफी समय तक बनाए रखा जाता है, तो बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है।

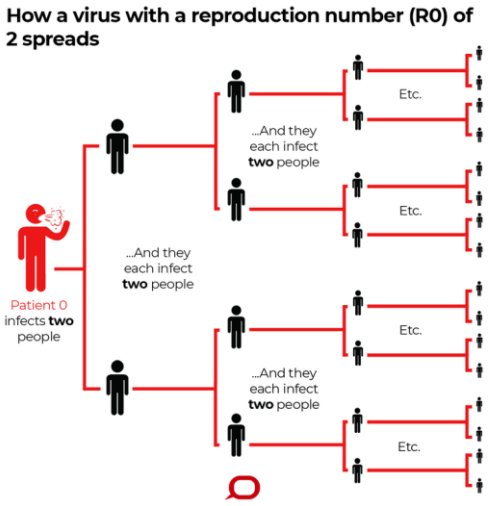

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने कोरोनोवायरस के लिए R0 **का मान** 1.4 से 2.5 के बीच अनुमानित किया है।

• पोलियो और चेचक जैसी बीमारियों को समाप्त करने के लिए अतीत में इसी रणनीति का उपयोग किया गया है। नोट: R0, जितना अधिक होगा, संक्रमण उतना ही संक्रामक होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- स्वास्थ्य एवं मुद्दे

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

गैर-प्रमुख वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.)

खबरों में क्यों है?

• भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) ने राज्य नोडल विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों से कहा है कि वे एम.एफ.पी. के लिए एम.एस.पी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध फंड से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर गैर-प्रमुख वन उपजों (एम.एफ.पी.) की खरीद शुरू करें।

एम.एफ.पी. के लिए एम.एस.पी. योजना के संदर्भ में जानकारी:

• एम.एफ.पी. योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में एम.एफ.पी. इकट्ठा करने वालों के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने हेतु शुरू किया गया था।

• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना के अंतर्गत "न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से गैर-प्रमुख वन उपजों के विपणन हेतु तंत्र और एम.एफ.पी. के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास किया जाता है।

• चुनिंदा एम.एफ.पी. के लिए गैर-प्रमुख वन उपजों (एम.एफ.पी.) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निश्चित किया गया है।

• इस योजना को एम.एफ.पी. इकट्ठा करने वालों की आजीविका में सुधार के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में डिजाइन किया गया है, जो उन्हें एकत्रित किए गए एम.एफ.पी. के लिए उचित मूल्य प्रदान करती है।

योजना का उद्देश्य

• उनके द्वारा एकत्र की गई उपज के लिए एम.एफ.पी. इकट्ठा करने वालों को उचित मूल्य प्रदान करना और उनकी आय का स्तर बढ़ाना

• एम.एफ.पी. की सतत कटाई को सुनिश्चित करना

• इस योजना में एम.एफ.पी. इकट्ठा करने वालों के लिए एक विशाल सामाजिक लाभांश होगा, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं।

कार्यान्वयन

• यह योजना भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्रों वाले आठ राज्यों में लागू की गई है।

• योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार का जनजातीय मामलों का मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

• नवंबर, 2016 से यह योजना सभी राज्यों में लागू है।

• राज्य स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ट्राइफेड, केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

• इसके अतिरिक्त, राज्य नामित एजेंसियां पूर्वनिर्मित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जमीनी स्तर पर अधिसूचित खरीद केंद्रों पर एम.एफ.पी. संग्रहकर्ताओं से सीधे अधिसूचित एम.एफ.पी. की खरीद का कार्य करेंगी।

अप्रमुख वन उपज के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की सूची

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में निम्नलिखित गैर-राष्ट्रीयकृत/ गैर-एकाधिकार वाले एम.एफ.पी. शामिल हैं।

• लगभग पचास वस्तुएं इस सूची में शामिल हैं:

इमली (बीज सहित), जंगली शहद, गोंद कराया, करंज के बीज, साल बीज, महुआ के बीज, साल के पत्ते, बीजों के साथ चिरौंजी की फली, आंवला, लाख, कुसुम के बीज, नीम के बीज, पुवाड के बीज, बहेड़ा, हिल ब्रूम ग्रास, सूखी शिकाकाई फली, बेल का गूदा (सूखा), नागरमोथा, शतावरी की जड़ (सूखे), गुड़मार/ मधुनाशिनी, कालमेघ, इमली (बीजरहित), गुग्गुल, महुए के फूल (सूखे हुए), तेजपत्ता (सूखे हुए), जामुन के सूखे बीज, सूखे आंवला गूदा (बीजरहित), अंकन नट, साबुन नट (सूखे), भावा बीज (अमलतास), अर्जुन छाल, कोकम (सूखा), गिलोय, कौंच बीज, चिरायता, वायुबिडिंग/वावदिंग (सूखे बीज), धवाईफूल (सूखे बीज) फूल, नक्स वोमिका, बान तुलसी की पत्तियां (सूखी), क्षीरनी, बकुल (सूखे छाल), कुटज (सूखे छाल), नोनी/ आल (सूखे फल), सोनापाठा/ स्योनक की फली, चनोठी के बीज, कलिहारी (सूखे कंद), मकोई (सुखाया हुआ), अपंग पौधा, सुगंधमन्त्री जड़/ कंद हैं।

नोट: उपर्युक्त सूची में एक नज़र डालना ज़रूरी है क्यों कि यू.पी.एस.सी. कभी-कभी एम.एस.पी. में शामिल वस्तुओं पर प्रश्न पूंछ लेता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

युक्ति पोर्टल

खबरों में क्यों है?

• केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में एक वेब-पोर्टल YUKTI (युक्ति) (यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) लॉन्च किया है।

युक्ति पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

• यह कोविड-19 के मद्देनजर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षाविदों, अनुसंधान और सामाजिक पहलों में पहलों की निगरानी करने के लिए एक अद्वितीय पोर्टल और डैशबोर्ड है।

• यह पोर्टल इन चुनौतीपूर्ण समय में छात्रों की पदोन्नति नीतियों, प्लेसमेंट संबंधी चुनौतियों और छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों में मदद करेगा।

• यह पोर्टल विभिन्न संस्थानों को कोरोनोवायरस के कारण विभिन्न चुनौतियों के लिए अपनी रणनीतियों को साझा करने की भी अनुमति देगा।

• यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संस्थानों के बीच दो-तरफ़ा संचार चैनल भी स्थापित करेगा जिससे कि मंत्रालय, संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रणाली प्रदान कर सके।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2-गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

लॉकडाउन के अंतर्गत रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन

खबरों में क्यों है?

• केंद्र सरकार के लॉकडाउन की प्रस्तावित विस्तारित अवधि के दौरान कोविड-19 मामलों की संख्या के आधार पर देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत करने की संभावना है।

इन जोन को इस प्रकार समझाया जा सकता है:

• **रेड जोन:** यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाया गया है या ऐसे क्षेत्र जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया था।

• रेड जोन में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• **ऑरेंज जोन**

• यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां अतीत में केवल कुछ मामलों का पता चला था, जहां मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
• इन क्षेत्रों में, सीमित सार्वजनिक परिवहन खोलने, ऑरेंज जोन में कृषि उत्पादों की कटाई की अनुमति जैसी न्यूनतम गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाएगी।
• **ग्रीन जोन**
• यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ वायरल फैलने से संबंधित कोई भी मामला नहीं है।
• इस क्षेत्र में अधिक छूट प्रदान की जाएगी जैसे कि एम.एस.एम.ई. उद्योगों को सामाजिक दूरी के उचित रखरखाव के साथ कर्मचारियों के लिए घर में रहने की सुविधा के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- एच.टी.

बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.)

खबरों में क्यों है?

• केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) के अंतर्गत किसानों से खराब होने वाली कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद करने के लिए कहा है।

बाजार हस्तक्षेप योजना के संदर्भ में जानकारी

• जैसा कि नाम से पता चलता है, एम.आई.एस., एक गैर-योजनाबद्ध योजना है, जिसे राज्य सरकारों के अनुरोध पर लागू किया गया है।
• एम.आई.एस., एक अनौपचारिक योजना है, जिसके अंतर्गत उन बागवानी वस्तुओं और अन्य कृषि वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो खराब हो जाती हैं और जो न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
• यह बाजार मूल्य में गिरावट की स्थिति में खराब होने वाली और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए लागू मूल्य समर्थन तंत्र है।
• बाजार हस्तक्षेप योजना, खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद तंत्र के समान काम करती है, लेकिन एक अनौपचारिक तंत्र है।

एम.आई.एस. का उद्देश्य:

• चरम आगमन अवधि के दौरान जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे आती हैं तब बंपर फसल होने की स्थिति में अपनी वस्तुओं के उत्पादकों की संकटपूर्ण बिक्री से सुरक्षा करने हेतु बाजार में हस्तक्षेप करना है।

मुख्य विशेषताएं

• यह योजना तब लागू की जाती है जब उत्पादन में पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कम से कम 10% की वृद्धि या सत्तारूढ़ दरों में 10% की कमी होती है।
• कृषि एवं सहकारिता विभाग योजना को लागू कर रहा है।
• एम.आई.एस. के दिशानिर्देशों के अनुसार, नुकसान का केंद्रीय हिस्सा राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाता है, जिसके लिए उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर एम.आई.एस. को मंजूरी प्रदान की गई है।
• एक निश्चित बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एम.आई.पी.) पर एक पूर्व निर्धारित मात्रा की खरीद भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एन.ए.एफ.ई.डी.) द्वारा की जाती है।

• इसके अतिरिक्त, साझा किए गए नुकसान की कुल राशि का हिस्सा, कुल खरीद मूल्य के 25% तक सीमित है, जिसमें खरीदी गई वस्तु की लागत के साथ ही स्वीकृत ऊपरी खर्च भी शामिल है।
• एक निश्चित अवधि के लिए या मूल्य के उपर्युक्त एम.आई.पी. के स्थिर होने तक केंद्रीय एजेंसी और राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी के रूप में एन.ए.एफ.ई.डी. हैं, इनमें से जो अवधि पहले हो।
• परिचालन का क्षेत्र, केवल संबंधित राज्य तक ही सीमित है।

एम.आई.एस. का लाभ उठाने हेतु पात्रता

• नुकसान की राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 आधार पर) के बीच 50:50 के आधार पर साझा की जाती है और कुल खरीद मूल्य के 25% तक सीमित है।
• दूसरे शब्दों में, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश (यू.टी.) सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर एम.आई.एस. के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाती है, यदि राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार 50% हानि (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%) वहन करने के लिए तैयार है, यदि कोई हो, तो इसके कार्यान्वयन पर किया जाएगा।

एम.आई.एस. के अंतर्गत शामिल की गई वस्तुएं

• वस्तुओं के संदर्भ में एम.आई.एस. लागू किया गया है:

सेब, किन्नू/ माल्टा, लहसुन, संतरे, गलगल, अंगूर, मशरूम, लौंग, काली मिर्च, अनानास, अदरक, लाल-मिर्च, धनिया बीज, इसबगोल, कासनी, प्याज, आलू, गोभी, सरसों, अरंडी के बीज, कोपरा, ताड़ का तेल आदि

• राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, जहां एम.आई.एस. लागू किया गया है:

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, केरल, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि

तुलनात्मक पहलू

विवरण	न्यूनतम समर्थन मूल्य	बाजार हस्तक्षेप योजना
शामिल वस्तुएं	निश्चित, वर्तमान में 24	निश्चित नहीं है
विनियमितता	नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष घोषणा की जाती है	नियमित नहीं है लेकिन अनौपचारिक है
समर्थन मूल्य	सी.ए.सी.पी. की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है	केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है
प्रयोज्यता	पूरे देश में	राज्य के निर्दिष्ट सीमित बाजार
संचालन का समय	पूरे वर्ष	विशिष्ट समय
नुकसान की घटना, यदि कोई है तो	केंद्र सरकार द्वारा वहन	केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है
लागू करने हेतु आवश्यक ढांचा	बड़े पैमाने पर	सीमित पैमाने पर

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

ए.टी.एल. स्कूलों में कोलैबकैड (CollabCAD) लांच किया गया है।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) ने संयुक्त रूप से CollabCAD का शुभारंभ किया है।

CollabCAD के संदर्भ में जानकारी

• यह एक सहयोगी नेटवर्क, कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो द्विविमीय ड्राफ्टिंग और विवरण से त्रिविमीय उत्पाद डिजाइन तक कुल इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है।

• इस पहल का उद्देश्य रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ त्रिविमीय डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए देश भर में अटल टिंकरिंग लैब्स (ए.टी.एल.) के छात्रों को एक शानदार मंच प्रदान करना है।

• यह सॉफ्टवेयर छात्रों को नेटवर्क में डेटा बनाने और भंडारण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए समान डिज़ाइन डेटा तक पहुंचने में भी सक्षम करेगा।

अटल नवाचार मिशन के संदर्भ में जानकारी

• नीति आयोग में गठित अटल नवाचार मिशन, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है।

• स्कूल स्तर पर, ए.आई.एम. पूरे भारत में सभी जिलों में ए.टी.एल. की स्थापना कर रही है।

• पूरे भारत में स्थापित ए.टी.एल. अपने अभिनव विचारों और रचनात्मकता को रखने के लिए बच्चों को टिंकरिंग स्पेस प्रदान करते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) में संशोधन

खबरों में क्यों है?

• कोविड-19 के खिलाफ विभिन्न दवाओं की उपलब्धता/ उत्पादन में तेजी लाने के लिए, पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 में संशोधन किया है।

संशोधनों की मुख्य विशेषताएं

• विभिन्न बीमारियों को संबोधित करने के लिए निर्मित बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट के संबंध में सभी परियोजनाओं या गतिविधियों मौजूदा श्रेणी 'ए' से 'बी 2' श्रेणी में पुन: वर्गीकृत किया गया है।
• श्रेणी बी2 के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को आधारभूत डेटा, ई.आई.ए. अध्ययन और सार्वजनिक परामर्श के संग्रह की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होती है।
• इस तरह के प्रस्तावों का पुन: वर्गीकरण प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करने के लिए राज्य स्तर पर मूल्यांकन के विकेंद्रीकरण की सुविधा के लिए किया गया है।
• यह संशोधन 30 सितंबर, 2020 तक प्राप्त सभी प्रस्तावों पर लागू होता है।

ई.आई.ए. में हुए महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक परिवर्तन क्या हैं?

• **स्क्रीनिंग**: यह परियोजना में पहली और सबसे स्पष्ट प्रक्रिया है जिसे ई.आई.ए. की अनिवार्यता नहीं है।
• **पहचान**: एक परियोजना आई.डी. परिभाषित की जाएगी और पहचानी जाएगी, परियोजना की पहुंच से लेकर सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा करने से, पर्यावरणीय प्रभावों के संभावित क्षेत्र पर विचार किया जाता है।
• **व्यापकता**: प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, डेवलपर, निवेशकों और विनियामक निकायों के साथ चर्चा की जाती है और मुद्दों का तत्परतापूर्वक समाधान किया जाता है।
• **प्रभाव की भविष्यवाणी:** गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रभावों पर विचार किया जाता है, जैसे वायु गुणवत्ता में परिवर्तन, शोर का स्तर, वन्य जीवन पर प्रभाव, जैव विविधता पर प्रभाव, स्थानीय समुदायों पर प्रभाव आदि हैं।
• **शमन:** परियोजना के विषय में यदि कोई हो तो नकारात्मक प्रभाव दूर करने और व्यापकता बढ़ाने हेतु उपाय किए जाते हैं। यह निवारक, सुधारात्मक और प्रतिपूरक साधनों में किया जाता है।
• **समीक्षा:** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और उसमें भरी गई प्रश्नावली, उचित देखभाल के साथ ध्यान में रखी गई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस, स्रोत- पी.आई.बी.

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण

खबरों में क्यों है?

• राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) ने कोविड-19 महामारी के बाद जेलों में भीड़ कम करने के लिए एक मिशन के भाग के रूप में देश भर की जेलों से लगभग 11,077 कैदियों को रिहा किया गया है।

एन.ए.एल.एस.ए. के संदर्भ में जानकारी

• यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य विकलांग कारणों से किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

संरचना

• कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख संरक्षक होंगे।
• भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश, कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

फिट इंडिया सक्रिय दिवस कार्यक्रम

खबरों में क्यों है?

- फिट इंडिया और सी.बी.एस.ई. लॉकडाउन के दूसरे चरण में स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र आयोजित करेगा।
- लाइव सत्र में दैनिक वर्कआउट से लेकर योग, पोषण और भावनात्मक कल्याण तक बच्चों की फिटनेस के सभी पहलुओं को शामिल करेगा।

फिट इंडिया अभियान के संदर्भ में जानकारी

- इसे युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा 2019 में लोगों के रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।
- फिट इंडिया, भारत सरकार का प्रमुख फिटनेस अभियान है, इसने फिट इंडिया सक्रिय दिवस कार्यक्रम शुरू किया है।
- फिट इंडिया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए एक लाइव सत्र आयोजित कर रहा है, जो फिटनेस सत्रों की एक नई श्रृंखला है।

- ऑनलाइन पाठ 15 अप्रैल, 2020 को सुबह 9.30 बजे शुरू होते हैं और यह फिट इंडिया और सी.बी.एस.ई. के फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल के साथ-साथ यूट्यूब पर भी उपलब्ध होंगे।
- कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्रालय के स्वस्थ रहने के दिशा निर्देशों को छात्रों के साथ साझा किया गया है।
- इन पाठों में दैनिक वर्कआउट और योग, पोषण और भावनात्मक कल्याण पर जानकारी शामिल है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

किसान रथ मोबाइल ऐप

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न और खराब होने वाली सामग्री के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।

किसान रथ मोबाइल ऐप के संदर्भ में जानकारी

• यह मोबाइल एप्लिकेशन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों और व्यापारियों को कृषि और बागवानी उत्पादन के लिए परिवहन मिल सके।

• यह देश में किसानों, एफ.पी.ओ. और सहकारी समितियों को फार्म गेट से बाजारों तक अपनी कृषि उपज को स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त परिवहन सुविधा खोजने का विकल्प प्रदान करेगा।

• यह ऐप किसानों और व्यापारियों को कृषि और बागवानी उत्पादों की आवाजाही के लिए प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के लिए परिवहन वाहनों की तलाश करने की सुविधा प्रदान करेगा।

A. प्राथमिक परिवहन में खेत से लेकर मंडियों, खाद्य उत्पादन संग्रह केंद्र और गोदामों तक आवाजाही शामिल हैं।

B. द्वितीयक परिवहन में मंडियों से लेकर अंतरा-राज्य और अंतर-राज्य मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशन, गोदामों और थोक विक्रेताओं तक आवाजाही शामिल होगी।

ऐप की कार्य प्रणाली की मुख्य विशेषताएं

• किसान, एफ.पी.ओ., खरीदार/ व्यापारी परिवहन की आवश्यकता को दर्ज करा सकेंगे, जो बाजार में परिवहन एग्रीगेटर्स को प्रचारित किया जाएगा।

• परिवहन एग्रीगेटर तब प्रतिस्पर्धी बोली प्राप्त करने के लिए ट्रक ड्राइवरों और बेड़े मालिकों के साथ इंटरफेस करेंगे।

• फिर ट्रक ड्राइवरों द्वारा दी गई बोली कंसाइनर (प्रेषक) को वापस भेजी जाएगी।

• कंसाइनर प्रत्यक्ष रूप से ट्रक वाले से ऑफ़लाइन बातचीत करेगा और सौदे को अंतिम रूप देगा।

• कंसाइनर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर सकते हैं और ऐप पर ट्रक ड्राइवरों को रेटिंग दे सकते हैं।

• ये रेटिंग भविष्य में रसद सेवा प्रदाताओं की चयन प्रक्रिया में कंसाइनरों की मदद करेगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

A, E, I, O, U: एक नया व्यापार और कार्य संस्कृति

खबरों में क्यों है?

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर अपने पोस्ट के साथ इस बात पर जोर दिया है कि नए व्यापार और कार्य संस्कृति को स्वरों A, E, I, O, U पर फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए, जो कोविड के बाद की दुनिया में किसी भी व्यवसाय मॉडल के आवश्यक तत्व बन जाएंगे।

• A, E, I, O, U का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

A - अनुकूलता

ई - दक्षता

आई- समावेशिता

ओ- अवसर

यू- सार्वभौमिकता

• उन्होंने ऐसे व्यावसायिक मॉडल विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है जो गरीबों, सबसे कमजोर के साथ ही ग्रह की देखभाल के लिए प्रधानता देते हैं।

a) **अनुकूलता:** इस समय की आवश्यकता ऐसे व्यवसाय और जीवनशैली मॉडल के बारे में सोचना है, जो आसानी से अनुकूलनीय हैं। डिजिटल भुगतान को सम्मिलित अनुकूलनशीलता का एक प्रमुख उदाहरण है। दुकान के मालिकों को बड़े और छोटे डिजिटल उपकरणों में निवेश करना चाहिए जो वाणिज्य से जुड़े रहते हो, विशेष रूप से संकट के समय में व्यवसाय से जुड़े रहते हों।

• भारत, पहले से ही डिजिटल लेनदेन में उत्साहजनक वृद्धि देख रहा है। एक अन्य उदाहरण टेलीमेडिसिन है- जिसमें वास्तविकता में क्लिनिक या अस्पताल जाए बिना कई परामर्श लिए जा सकते हैं।

b) **दक्षता (ई):** यह समय इसके बारे में सोचने का समय है जिसे हम कुशल होने के रूप में संदर्भित करते हैं। दक्षता केवल के बारे में नहीं हो सकती कि कार्यालय में कितना समय बिताया गया है। कार्य को निर्दिष्ट समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

c) **समावेशिता (I):** ऐसे व्यवसाय मॉडल विकसित करें जो गरीबों, सबसे कमजोर के साथ ग्रह की देखभाल करने पर प्रधानता देते हैं। विकासशील प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण भविष्य है जो ग्रह पर हमारे प्रभाव को कम करता है। नवाचारों में निवेश के साथ यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसानों के

पास सूचना, मशीनरी और बाजारों तक पहुंच होनी चाहिए, यह मायने नहीं रखता है कि स्थिति क्या है, हमारे नागरिकों के पास आवश्यक वस्तुओं की पहुंच होनी चाहिए।

d) **अवसर (O):** प्रत्येक संकट अपने साथ एक अवसर लाता है। कोविड-19 भी अलग नहीं है। मूल्यांकन करें कि अब नए अवसर/ विकास क्षेत्र क्या हो सकते हैं, जो अब उभर रहे हैं। भारत को कोविड के बाद की दुनिया में वक्र से आगे होना चाहिए। हमारे कौशल निर्धारित करते हैं, ऐसा करने में हमारी मुख्य क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है।

e) **सार्वभौमिकता (U):** कोविड-19 हमला करने से पहले जाति, धर्म, रंग, जाति, पंथ, भाषा या सीमा को नहीं देखता है। इसके बाद की प्रतिक्रिया और आचरण को एकता और भाईचारे के लिए प्रधानता प्रदान करनी चाहिए।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2-गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

राष्ट्रीय वैक्सीन टास्क फोर्स

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्र सरकार ने वैक्सीन विकास और ड्रग परीक्षण पर एक अन्य राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

कार्य

• इस टास्क फोर्स का मुख्य कार्य दवा परीक्षण और वैक्सीन विकास के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच एक सेतु के रूप में काम करना होगा।

• यह टास्क फोर्स बीमारी की बेहतर समझ के लिए लोगों के दीर्घकालिक अनुवर्ती पर केंद्रित नैदानिक साथी बनाएगी।

• यह जैव-नमूने भी एकत्र करेगी, जो दवाओं और टीकों के भविष्य के परीक्षणों का आधार बनेगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) टास्क फोर्स के केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण के रूप में काम करता है।

• डी.बी.टी., अनुसंधान कार्यों की प्रगति की निगरानी भी करेगा और प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा।

सदस्य

• टास्क फोर्स में सदस्य के रूप में आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

• अन्य सदस्य भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (ड.बी.टी.), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डी.जी.एच.एस.) और भारतीय औषधि नियंत्रक महानिदेशक (डी.सी.जी.आई.) हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई;बी.

ई-शिक्षण सामग्री योगदान को आमंत्रित करने हेतु विद्यादान 2.0

खबरों में क्यों है?

• मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने नई दिल्ली में ई-शिक्षण सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 शुरू किया है।

विद्यादान के संदर्भ में जानकारी

• ई-शिक्षण सामग्री को विकसित करने और योगदान देने हेतु और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने हेतु एक सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

• यह देश भर के व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों के लिए ई-शिक्षण संसाधनों का योगदान देता है।

• देश भर के लाखों बच्चों की मदद करने हेतु इस सामग्री का उपयोग दीक्षा ऐप पर किया जाता है, जिससे कि उनके शिक्षण को किसी भी समय और कहीं भी निरंतर जारी रखा जा सके।

दीक्षा- राष्ट्रीय शिक्षक मंच के संदर्भ में जानकारी

• मंत्रालय का दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म वर्ष 2017 से 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ काम कर रहा है, जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए दीक्षा का लाभ उठा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षक मंच निम्नलिखित प्रदान करने की परिकल्पना करता है:

• शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (उदाहरण- अधिगम परिणामों, सी.सी.ई. आदि पर प्रशिक्षण)

• पाठ योजना, अवधारणा वीडियो, वर्कशीट, पाठ्यक्रम के अनुसार मानचित्रित किए जाते हैं

• शिक्षकों का मूल्यांकन, उनकी क्षमता और सुधार के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया जाता है।

• शिक्षक इस सामग्री को अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य उपकरणों पर ऑफ़लाइन कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकेंगे।

• सामग्री को स्थानीय भाषाओं में अवधारणा करने के साथ-साथ पाठ्यक्रम में भी मानचित्रित किया जाएगा।

टॉपिक-जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण को मंजूरी प्रदान की है।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2020-21 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पी एंड के) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एन.बी.एस.) दरों के निर्धारण के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है।

एन.बी.एस. योजना में नया जुड़ाव

• हाल ही में, सी.सी.ई.ए. ने एन.बी.एस. योजना के अंतर्गत अमोनियम फॉस्फेट (एन.पी. 14:28:0:0) नामक एक जटिल उर्वरक को शामिल करने की मंजूरी दी है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के संदर्भ में जानकारी

• उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एन.बी.एस.) कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि को यूरिया को छोड़कर सब्सिडी वाले फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पी एंड के) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर प्रदान किया जाता है। यह उनमें मौजूद पोषक तत्व सामग्री पर आधारित है।

• यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे माध्यमिक पोषक तत्वों के लिए है, जो फसल की वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

• उर्वरक विभाग, इस योजना को लागू कर रहा है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने हेतु अध्यादेश

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने महामारी के दौरान हिंसा के खिलाफ डॉक्टरों के रहने/ काम करने वाले परिसर सहित स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और संपत्ति की रक्षा के लिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है।

• इस अध्यादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में मौजूदा महामारी के दौरान, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा और संपत्ति को नुकसान के प्रति शून्य-सहिष्णुता है।

अध्यादेश के मुख्य प्रावधान

• अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रावधान है। इसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के चोटिल होने या संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का संबंधित महामारी से प्रत्यक्ष संबंध हो सकता है।

• हिंसा में उत्पीड़न और शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है।

स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों में शामिल हैं

A. सार्वजनिक और नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं।

B. इस बीमारी के प्रकोप को रोकने या इसके प्रसार को रोकने के लिए उपाय करने हेतु अधिनियम के अंतर्गत अन्य व्यक्ति को भी अधिकार प्रदान किया गया है।

C. ऐसे किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा।

सज़ा

• तीन महीने से पांच साल तक की कैद और 50,000/- रुपये से लेकर 2,00,000/- तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

• गंभीर चोट के मामले मे छह महीने से सात वर्ष की अवधि के लिए जेल और 1,00,000/- से 5,00,000/- तक का जुर्माना होगा।

महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में जानकारी

• महामारी रोग अधिनियम अंग्रेजों द्वारा बॉम्बे के तत्कालीन राज्य में फैले बुबोनिक प्लेग की महामारी से निपटने के लिए पेश किया गया था।
• इस कानून का उद्देश्य खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार की बेहतर रोकथाम के लिए प्रावधान प्रदान करना है।
• अधिनियम के अंतर्गत, किसी बीमारी के प्रकोप से निपटने या रोकने के लिए जनता द्वारा अस्थायी प्रावधानों या नियमों का पर्यवेक्षण किया जा सकता है।
• स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसी बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए देश भर में महामारी रोग अधिनियम को नियमित रूप से लागू किया जाता रहा है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

श्रम पर संसदीय समिति

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 पर अपनी रिपोर्ट में श्रम पर संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि "प्राकृतिक आपदाओं के मामले में, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान तब तक किया जाता है जब तक कि उद्योग की फिर से स्थापना न हो जाए, यह "अन्यायपूर्ण" है।
• भर्तृहरि महताब, श्रम पर संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति की सिफारिश

• समिति ने सुझाव दिया है कि इस प्रकार स्पष्टता लाई जाए कि नियोक्ताओं को बंद करने या ठप्प होने के लिए नहीं जिम्मेदार ठहराया जाए, उच्च इरादे की ऐसी प्राकृतिक आपदा के मामले में यह एक नुकसान नहीं है। सिफारिशों के संदर्भ में मूल विचार यह है कि उद्योग को भी मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जब स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो।
• कानून उचित होना चाहिए और सरकार को प्रवेश करना और उद्योगों के लिए मदद हेतु कदम बढ़ाना चाहिए।

औद्योगिक संबंध संहिता 2019 के संदर्भ में जानकारी:

• यह तीन कानूनों- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, व्यापार संघ अधिनियम, 1926 और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 का एक मिश्रण है।
• औद्योगिक संहिता बिजली, कोयला, कच्चे माल आदि की कमी के कारण बंद किए गए काम के कारण नियोक्ता को 45 दिनों के लिए श्रमिकों/ कर्मचारियों को 50% मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य करती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी.डी.बी.) ने कोविड-19 किट विकसित करने के लिए माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के लिए वित्त पोषण को मंजूरी प्रदान की है।

उद्देश्य:

• भारतीय औद्योगिक चिंताओं और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास करने वाली अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना या व्यापक स्वदेशी अनुप्रयोगों के लिए आयातित तकनीकों को अपनाना

Govt. of India

TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD

Department of Science and Technology

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी.डी.बी.) के संदर्भ में जानकारी

• यह प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के अंतर्गत वर्ष 1996 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। टी.डी.बी., विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है। टी.डी.बी., सरकारी ढांचे के भीतर इस प्रकार का पहला संगठन है, जिसका उद्देश्य केवल स्वदेशी अनुसंधान के फल का व्यवसायीकरण करना है।

• बोर्ड, प्रौद्योगिकी-उन्मुख उत्पादों को लेने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित करके एक सक्रिय भूमिका निभाता है।

संरचना

• इसमें 11 सदस्य होते हैं, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, पदेन अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं।

बोर्ड के कार्य:

• उद्योग, वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स और विशेषज्ञों के बीच बातचीत को सुगम बनाता है।
• उद्योग और संस्थानों के बीच अनुबंध और सहकारी अनुसंधान के माध्यम से प्रोत्साहन और नवाचार संस्कृति
• धन का लाभ उठाने के लिए वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ एक इंटरफ़ेस प्रदान करता है
• उद्यमियों की एक नई पीढ़ी के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है
• अन्य समान प्रौद्योगिकी वित्तपोषण निकायों के साथ साझेदारी का समर्थन करता है
• हाई-टेक क्षेत्रों में उद्यम करने के लिए खाका प्रदान करता है
• नौकरी के नए अवसर बनाता है

माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के संदर्भ में जानकारी

• यह पुणे की एक फर्म है, जो कोविड-19 के लिए एक डायग्नोस्टिक किट विकसित कर रही है।
• माईलैब एक रियल टाइम पी.सी.आर.-आधारित मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक किट विकसित करने वाली पहली भारतीय फर्म थी, जो उन लोगों को स्क्रीन कर सकती है जो फ्लू जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जो उनसे एकत्र किए गए नाक और गले के स्वैब पर आधारित है।
• इन किटों के विकास और तैनाती से आयातित कोविड-19 परीक्षण किटों पर निर्भरता में कमी आएगी।

• माईलैब किट को पहले ही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) के अवसर पर ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।

उद्देश्य:

• देश भर के पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर.) ने एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्राम स्वराज लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाना है।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

• यह एक उपयोगकर्ता अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्राम स्वराज है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाना है।

• यह वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

• राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, भारत में पंचायती राज प्रणाली का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

• भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल, 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि यदि पंचायती राज संस्थान (पी.आर.आई.) ठीक से काम करता है और स्थानीय लोगों ने विकास प्रक्रिया में भाग लिया है तो माओवादी खतरे का मुकाबला किया जा सकता है।

• निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2015 को "महिलाओं सरपंचों के पतियों" या "सरपंच पति" की प्रथा को समाप्त करने का आवाहन किया है, जो शक्तियों हेतु चयनित अपनी पत्नियों के काम पर अनुचित प्रभाव का अभ्यास करते हैं।
• उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के साथ बातचीत भी की है क्योंकि राष्ट्र की कोविड-19 की लड़ाई जारी है।

प्रमुख विशेषताएं

• ग्रामीण कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो प्रौद्योगिकी को तैनात करना चाहती हैं और सलाहकार, विनियमन और सेवा प्रावधान के लिए ग्राम पंचायतों को एक निर्बाध मंच पर जोड़ना चाहती हैं।
• यह पहला ई-ग्राम स्वराज पोर्टल है, जो देश भर में ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण में मदद करेगा। यह ग्राम पंचायतों की सभी डिजिटल आवश्यक्ताओं के लिए एकल मंच होगा। सरकार की ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) को तैयार करने और लागू करने के लिए एक एकल इंटरफ़ेस है।
• यह पोर्टल भूमि और संपत्ति विवादों को निपटाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता में भी मदद करेगा।
• यह सेवा धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किए जाने से पहले छह राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में शुरू की जाएगी।
• उन्होंने स्वामित्व योजना शुरू की है, जो ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करती है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन नवीनतम सर्वेक्षण विधियों जैसे कि ड्रोन तकनीक से किया जाएगा, जो कि पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभागों, राज्य राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु स्वामित्व योजना

खबरों में क्यों है?

• प्रधानमंत्री ने ड्रोन के उपयोग जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूमि के स्वामित्व का नक्शा बनाने के लिए स्वामित्व योजना या मालिकाना योजना शुरू की है।

उद्देश्य

• स्वामित्व योजना का उद्देश्य गाँवों में जमीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड बनाना और ग्रामीण आबादी को आधिकारिक दस्तावेज प्रदान करके अधिकार प्रदान करना है, जो भूमि शीर्षक के मालिकाना अधिकार की पुष्टि करता है।

स्वामित्व योजना के संदर्भ में जानकारी

• स्वामित्व योजना को 6 राज्यों में परीक्षण मोड में शुरू किया गया है जो ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके ग्रामीण आबाद भूमि का नक्शा बनाने में मदद करती है।
• स्वामित्व योजना का उद्देश्य गाँवों में जमीन का मालिकाना हक रिकॉर्ड बनाना और ग्रामीण आबादी को आधिकारिक दस्तावेज प्रदान करके अधिकार प्रदान करना है, जो भूमि शीर्षक के मालिकाना अधिकार की पुष्टि करता है।
• गैर-विवादित रिकॉर्ड बनाने के लिए समुदायों में आवासीय भूमि को ड्रोन का उपयोग करके मापा जाएगा। यह भूमि के सर्वेक्षण और मापने हेतु नवीनतम तकनीक है।

शामिल एजेंसियां/ विभाग

• इस योजना को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पंचायती राज विभागों और विभिन्न राज्यों के राजस्व विभागों के साथ निकट समन्वय में संचालित किया जाएगा।

लाभ

• ड्रोन, एक गांव की भौगोलिक सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का एक डिजिटल नक्शा तैयार करेंगे और प्रत्येक राजस्व क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करेंगे।

• शहर में प्रत्येक संपत्ति के लिए ड्रोन-मानचित्रण द्वारा वितरित सटीक मापों का उपयोग करके राज्यों द्वारा संपत्ति कार्ड तैयार किया जाएगा।

• ये कार्ड संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे और भूमि राजस्व रिकॉर्ड विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे।

• एक आधिकारिक दस्तावेज़ के माध्यम से संपत्ति के अधिकारों का वितरण ग्रामीणों को संपार्श्विक के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करके बैंक से वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

• मालिकों से संबद्ध करों के संग्रह की अनुमति देते हुए एक गाँव के लिए संपत्ति रिकॉर्ड को पंचायत स्तर पर भी बनाए रखा जाएगा।

• इन स्थानीय करों से उत्पन्न धन का उपयोग ग्रामीण अवसंरचना और सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।

• कर संग्रह की सुविधा, नई इमारत और संरचना योजना, परमिट जारी करने और संपत्ति हथियाने के प्रयासों को विफल करने के लिए सटीक संपत्ति रिकॉर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त

खबरों में क्यों है?

• श्री संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में जानकारी

• केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) की स्थापना 1964 में के. संथनाम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

• यह केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा शासित एक संवैधानिक निकाय है।

उद्देश्य

• इस महत्वपूर्ण निकाय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी क्षेत्र में सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों को अच्छी तरह से रोका जा सके और उन्हें प्रतिमिनट संबोधित किया जा सके। इसमें केंद्र सरकार के लोक सेवकों की विशिष्ट श्रेणियों, किसी भी केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत या द्वारा स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के स्वामित्व वाले या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किए गए तथाकथित अपराधों की पूछताछ करना शामिल होगा।

संरचना:

• आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होंगे।

नियुक्ति:

• राष्ट्रपति ने उन्हें एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त करता है, जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं:

1) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)

2) गृह मामलों के मंत्री

3) लोकसभा में विपक्ष का नेता

नोट: इसे प्राय: एक शक्तिहीन संस्था माना जाता है क्योंकि इसे केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में माना जाता है, जिसके पास सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने या संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए सी.बी.आई. को निर्देशित करने की शक्ति नहीं होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2-संविधान

स्रोत- द हिंदू

वेंटीलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली (VITAL)

खबरों में क्यों है?

• नासा के इंजीनियरों ने वाइटल नामक एक नया, आसानी से निर्मित उच्च दबाव वेंटिलेटर विकसित किया है, जो विशेष रूप से कोविड-19 के रोगियों के इलाज हेतु विकसित किया गया है।

वेंटीलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली के संदर्भ में जानकारी

• यह मामूली लक्षण वाले मरीजों का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे देश के पारंपरिक वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति को बनाए रखा जाए जो कि अधिक गंभीर कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों इलाज हेतु उपलब्ध हैं।

लाभ

• वाइटल को पारंपरिक वेंटिलेटर की तुलना में अधिक आसानी से बनाए रखा जा सकता है और तेजी से निर्मित किया जा सकता है, यह बहुत कम भागों से बना होता है, जिनमें से कई वर्तमान में मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से संभावित निर्माताओं के लिए उपलब्ध हैं।

• नासा अब आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के माध्यम से डिवाइस के लिए एफ.डी.ए. की मंजूरी चाहता है, यह संकट की स्थिति के लिए विकसित एक फास्ट-ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया है जो वर्षों के बजाय सिर्फ कुछ दिन का समय लेती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

शीर्ष 3 सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत शामिल है: रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

• स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिपरी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में वैश्विक सैन्य व्यय बढ़कर 1917 अरब डॉलर हो गया और भारत और चीन शीर्ष तीन सैन्य खर्च करने वाले देशों में से एक हैं।

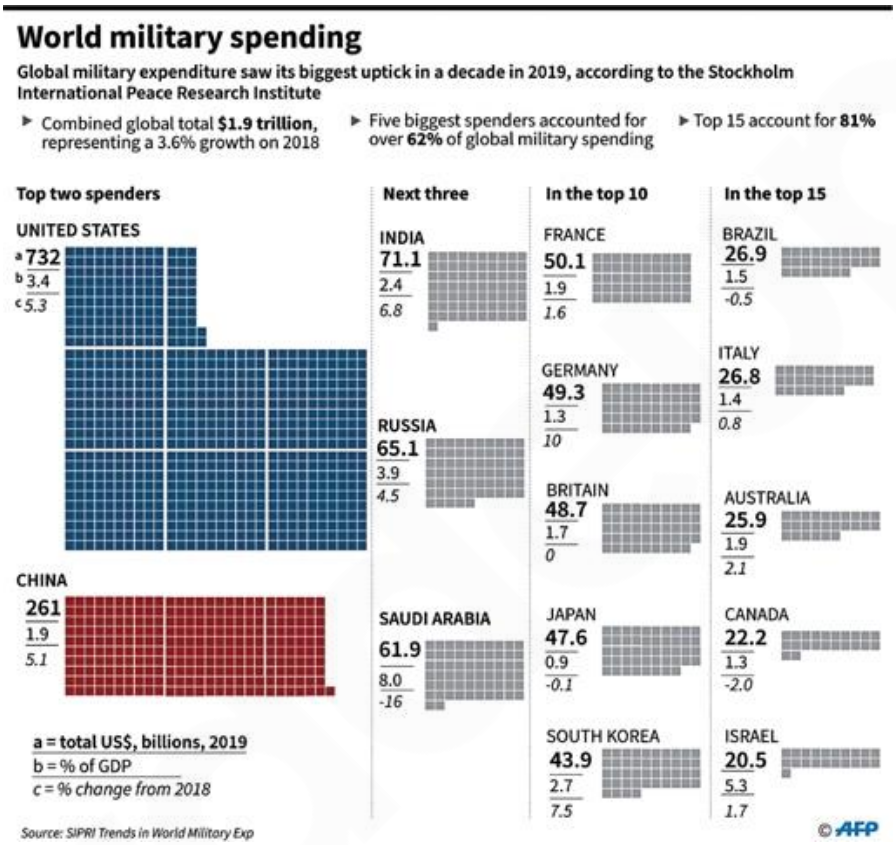

स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिपरी) के संदर्भ में जानकारी

• सिपरी, वर्ष 1966 में स्थापित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और स्वीडिश प्रबुद्ध मंडल है।

• यह संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में शोध करता है।

• यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता के लिए खुले स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है।

• इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में स्थित है।

दृष्टिकोण और मिशन

• सिपरी का दृष्टिकोण एक ऐसी दुनिया का है जिसमें असुरक्षा के स्रोतों की पहचान की जाती हो और समझा जाता हो, संघर्षों को रोका या हल किया जाता है और शांति बनाए रखी जाती है।

सिपरी के मिशन निम्नलिखित हैं:

- सुरक्षा, संघर्ष और शांति पर अनुसंधान और गतिविधियाँ करना
- नीति विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करना
- संवाद की सुविधा और क्षमता का निर्माण करना
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना
- वैश्विक दर्शकों के लिए आधिकारिक जानकारी वितरित करना

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2-अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

मिड-डे मील योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर मिड-डे मील योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागत के वार्षिक केंद्रीय आवंटन में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि करके 8,100 करोड़ करने की घोषणा की है।

मिड-डे मील योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

उद्देश्य

- नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने के साथ ही सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एस.टी.सी.) और मदरसों और मकतबों में कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है।
- मिड-डे मील योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 द्वारा कवर की गई है।

मिड-डे मील योजना की पृष्ठभूमि

- वर्ष 1925 में, मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए एक मिड-डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- प्राथमिक शिक्षा (एन.पी.-एन.एस.पी.ई.) के लिए राष्ट्रीय पोषण संबंधी समर्थन कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, शुरुआत में देश के 2408 ब्लॉकों में इसे शुरू किया गया था।
- इसे वर्ष 2002 में न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों के I-V कक्षाओं में बल्कि शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस.) और वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा (ए.आई.ई.) केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी कवर करने के लिए बढ़ाया गया था।
- अक्टूबर 2007 में, उच्च प्राथमिक (कक्षा छठी से आठवीं) में, प्रारंभ में 3479 में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ई.बी.बी.) के बच्चों को शामिल करने के लिए योजना को आगे भी संशोधित किया गया था।
- 2008-09 से, इस कार्यक्रम में देश भर के सभी क्षेत्रों के सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत समर्थित सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों और मदरसा और मकतबों सहित ई.जी.एस./ ए.आई.ई. केंद्रों में अध्ययनरत सभी बच्चों को शामिल किया गया था।

तिथि भोजन के संदर्भ में जानकारी

- तिथि भोजन, कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मिड-डे मील योजना है।
- यह अवधारणा पहली बार गुजरात में लागू की गई थी, जहां से भारत सरकार ने इसे देश भर में लागू करने के लिए लिया था।

• यह बच्चों को पौष्टिक और स्वस्थवर्धक भोजन प्रदान करने के प्रयास में समुदाय के सदस्यों को शामिल करना चाहता है।
• समुदाय के सदस्य विशेष अवसरों/ त्योहारों पर बर्तन या भोजन में योगदान दे सकते हैं।
• यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग मध्याह्न के पहले से ही मीठे, नमकीन या स्प्राउट्स जैसे पूरक खाद्य पदार्थों का योगदान दे सकते हैं।
• धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की साझेदारी और भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2-गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

जगनन्ना विद्या दीवेना योजना

खबरों में क्यों है?

• आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में 'जगनन्ना विद्या दीवेना' योजना शुरू की है।

'जगनन्ना विद्या दीवेना' योजना के संदर्भ में जानकारी

• इस योजना के अंतर्गत, आगामी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति कॉलेज खातों के बजाय सीधे माताओं के खातों में जमा की जाएगी।
• सरकार इस योजना के माध्यम से आई.टी.आई., बीटेक, बी. फार्मेसी, एम.बी.ए., एम.सी.ए. और बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने जा रही है।
• 'जगनन्ना विद्या दीवेना' योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 से 20,000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।

टॉपिक: जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

'जीवन अमृत योजना' योजना

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है, जो राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु एक अद्वितीय योजना है।

'जीवन अमृत योजना' के संदर्भ में जानकारी

• इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार आयुष विभाग द्वारा तैयार विशेष त्रिकूट चूर्ण का एक पैकेट नागरिकों को निशुल्क वितरित करेगी।
• जीवन अमृत योजना के अंतर्गत, आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा काढ़े के 50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

मल्टी-सिस्टम इंफ्लैमेटरी अवस्था

खबरों में क्यों है?

• यू.के. की बाल चिकित्सा गहन देखभाल सोसाइटी ने कहा है कि इसने "मल्टी-सिस्टम इंफ्लेमेटरी अवस्था" के साथ गहन देखभाल की आवश्यकता वाले सभी उम्र के बच्चों की संख्या में "स्पष्ट वृद्धि" देखी है, जिसमें डॉक्टरों का मानना है कि यह कोरोनवायरस से संबंधित हो सकता है।

मल्टी-सिस्टम इंफ्लेमेटरी अवस्था क्या है?

- यह एक दुर्लभ बीमारी है, जो रक्त वाहिकाओं में सूजन का कारण बनती है, जिससे निम्न रक्तचाप होता है।
- यह पूरे शरीर को प्रभावित करती है क्योंकि यह फेफड़ों और अन्य अंगों में तरल पदार्थ का निर्माण करती है।
- यह स्थिति कावासाकी बीमारी के समान है।
- इससे पीड़ित मरीजों के फेफड़ों, हृदय और अन्य अंगों को समर्थन देने हेतु गहन देखभाल की आवश्यकता होती है।

लक्षण क्या हैं?

- बच्चों में पेट और जठरांत्र संबंधी लक्षणों के साथ-साथ हृदय की सूजन भी नजर आती है। पी.आई.सी.एस. के अनुसार, इसमें विषाक्त शॉक सिंड्रोम और असामान्य कावासाकी रोग के अतिव्यापी लक्षण भी थे।

विषाक्त शॉक सिंड्रोम के संदर्भ में जानकारी

- यह एक दुर्लभ जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति है, जो तब होती है जब कुछ बैक्टीरिया, शरीर में प्रवेश करते हैं और हानिकारक विषाक्त पदार्थों को छोड़ते हैं।
- यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो स्थिति घातक हो सकती है।

लक्षण

- इसमें उच्च तापमान, फ्लू जैसे लक्षण शामिल हैं जिसमें सिरदर्द, गले में खराश, खांसी, दस्त, चक्कर आना या बेहोशी आना, साँस लेने में कठिनाई होना और भ्रम शामिल हैं।

कावासाकी बीमारी के संदर्भ में जानकारी

- यह रक्त वाहिकाओं की एक तीव्र सूजन वाली बीमारी है और सामान्यत: पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में होती है।
- बीमारी के कारण होने वाली सूजन, शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है लेकिन हृदय पर इसका अधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है क्यों कि यह कोरोनरी धमनियों में सूजन पैदा करती है जो हृदय को रक्त की आपूर्ति करने हेतु जिम्मेदार होती हैं।
- इसके परिणामस्वरूप विस्तार होने या विस्फार के बनने से दिल का दौरा पड़ सकता है।

• इसके लक्षणों में बुखार, हाथ-पांव में परिवर्तन, चकत्ते और कॉर्निया में लालिमा, लाल और फटे होंठ, जीभ लाल होना और गर्दन की लसीका ग्रंथि में वृद्धि शामिल है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

नीट, अल्पसंख्यक-संचालित मेडिकल कॉलेजों पर लागू होता है: सर्वोच्च न्यायालय

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अनिवार्य कर दिया है।

• यह निर्णय सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) प्रवेश परीक्षा के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डी.सी.आई.) द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 10डी और 1948 के दंत चिकित्सा अधिनियम के अंतर्गत जारी कई की गई अधिसूचनाओं को कॉलेजों द्वारा दी गई एक चुनौती पर आधारित था।

फैसले की मुख्य विशेषताएं

• न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि केवल स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/ डेंटल कोर्स के लिए केवल नीट के माध्यम से प्रवेश अल्पसंख्यकों के किसी भी मौलिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता हैं।

• उन्होंने कहा है कि व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है।

• यह "छात्रों के हित में उचित प्रतिबंध" समुदाय के लिए योग्यता, उत्कृष्टता की मान्यता को बढ़ावा देने और कुप्रथाओं को रोकने के अधीन है।

• अदालत ने कहा है कि प्रावधान, अनुच्छेद 30 [अपने संस्थानों के प्रशासन हेतु अल्पसंख्यकों के अधिकार] के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, जिन्हें एम.सी.आई./ डी.सी.आई. द्वारा बनाए गए एम.सी.आई. अधिनियम और दंत चिकित्सक अधिनियम एवं विनियमन की धारा 10डी में रखा गया है।

• सार्वभौमिक (यूनिफ़ॉर्म) प्रवेश परीक्षा, संविधान में निर्दिष्ट नीति निर्देशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में मेरिट को बढ़ाकर भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करेगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- राजनीति

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन

समाचार में क्यों है?

• राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एन.आई.पी.) पर टास्क फोर्स ने वित्त मंत्रालय को वित्त वर्ष 2019-25 के लिए एन.आई.पी. पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी

• एन.आई.पी. टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान 111 लाख करोड़ रूपये के कुल अवसंरचना निवेश का अनुमान लगा रही है।

• जो 111 लाख करोड़ रूपए के कुल अपेक्षित पूंजीगत व्यय में से है।

A. 44 लाख करोड़ रूपये (एन.आई.पी. का 40%) की परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं

B. 33 लाख करोड़ रूपये (30%) की परियोजनाएं वैचारिक स्तर पर हैं

C. 22 लाख करोड़ रूपये (20%) की परियोजनाएं चल रही हैं

D. 11 लाख करोड़ रूपये (10%) की परियोजनाओं के लिए परियोजना चरण के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

E. ऊर्जा (24%), सड़कें (18%), शहर (17%) और रेलवे (12%) जैसे क्षेत्रों में भारत में अनुमानित अवसंरचना निवेश का लगभग 71% हिस्सा है।

F. भारत में एन.आई.पी. को लागू करने में केंद्र (39%) और राज्य (40%) की लगभग बराबर हिस्सेदारी की उम्मीद है, इसके बाद निजी क्षेत्र (21%) का स्थान होगा।

टास्क फोर्स ने तीन समितियां स्थापित करने की सिफारिश की है:

i. एन.आई.पी. प्रगति की निगरानी और देरी को समाप्त करने हेतु एक समिति
ii. कार्यान्वयन के अनुसरण हेतु प्रत्येक अवसंरचना मंत्रालय स्तर में एक संचालन समिति तथा
iii. एन.आई.पी. के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु डी.ई.ए. में एक संचालन समिति का गठन

• एन.आई.पी. को दृश्यता प्रदान करने और भावी निवेशकों, घरेलू और विदेशी दोनो के साथ इसके वित्तपोषण में मदद करने के लिए शीघ्र ही एन.आई.पी. परियोजना डेटाबेस को भारत निवेश ग्रिड (आई.आई.जी.) पर आयोजित किया जाएगा, जो अद्यतन परियोजना-स्तरीय जानकारी तक पहुँचने में सक्षम होगी।

नोट: केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2019-20 में घोषणा की थी कि अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- ढांचा

स्रोत- पी.आई.बी.

विशेष 301 रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

• यू.एस.टी.आर. ने अपनी वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट में कहा है कि भारत, पर्याप्त बौद्धिक संपदा (आई.पी.) अधिकार संरक्षण और प्रवर्तन की कमी के लिए संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू.एस.टी.आर.) की 'प्राथमिकता निगरानी सूची' में बना हुआ है।

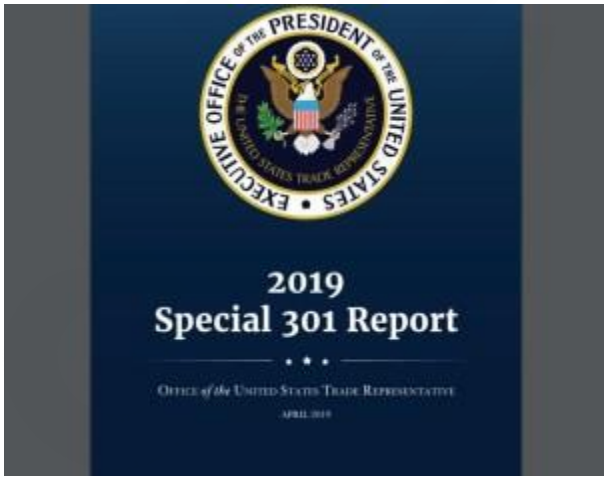

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

• भारत, आई.पी. प्रवर्तन और संरक्षण के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है।
• जबकि भारत ने पिछले वर्षों में कुछ क्षेत्रों में आई.पी. संरक्षण और प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए "सार्थक प्रगति" की है, इसने हालिया और लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान नहीं किया और नई चुनौतियों का निर्माण किया है।
• ये लंबे समय से चली आ रही चिंताएं निम्न हैं:

a. अन्वेषक विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में पेटेंट प्राप्त करने, बनाए रखने और लागू करने में सक्षम हैं।
b. सामग्री के निर्माण और व्यावसायीकरण को न बढ़ाने वाले कॉपीराइट कानूनों पर चिंता तथा

c. एक पुराना व्यापार रहस्य ढांचा

• रिपोर्ट में चिकित्सा उपकरणों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर उच्च सीमा शुल्क का भी उल्लेख किया गया है।

• रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत को निरंतर रूप से ट्रेडमार्क के कानून पर सिंगापुर संधि में शामिल होने का आग्रह किया गया है, जो एक संधि है जो ट्रेडमार्क पंजीकरण को सामांजस्यपूर्ण बनाती है।

विशेष 301 रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी

• यह संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय द्वारा वार्षिक रूप से तैयार की जाती है।

• यह पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई थी।

उद्देश्य

• यह अन्य देशों में बौद्धिक संपदा कानूनों जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के कारण संयुक्त राज्य की कंपनियों और उत्पादों के लिए व्यापार बाधाओं की पहचान करता है।

• विशेष 301 रिपोर्ट को 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अनुसार प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि इसे 1988 के सर्वव्यापी व्यापार और प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 1303 द्वारा संशोधित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

सामरिक पेट्रोलियम भंडार

खबरों में क्यों है?

• पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू सार्वजनिक क्षेत्र के रिफाइनरों को वैश्विक तेल की कम कीमत के कारण अपनी तेल खरीद के भंडारण के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एस.पी.आर.) का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है।

उद्देश्य

• ये तेल भंडार, राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वे कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के खिलाफ एक प्रतिरोधी के रूप में कार्य करते हैं।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार के संदर्भ में जानकारी

• यह आपातकालीन कच्चे तेल की राष्ट्रीय आपूर्ति है, जिसे मुख्य रूप से आपूर्ति में व्यवधान के प्रभाव को कम करने के लिए स्थापित किया गया है।

• सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एस.पी.आर.) के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल.) को प्रदान की गई है।

भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड के संदर्भ में जानकारी

• यह देश के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के रखरखाव हेतु जिम्मेदार है।

• आई.एस.पी.आर.एल., तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार की पृष्ठभूमि

• वर्ष 1990 में प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक थीं, जिसके कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है और भारत के पास केवल तीन सप्ताह के आयात बिल का भुगतान करने के लिए ($ 1.2 बिलियन) विदेशी मुद्रा आरक्षित बची थी।

• भारत सरकार ने इस घटना से एक नया सबक सीखा था।

• इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान प्राप्त करने हेतु सरकार ने वर्ष 1998 में भारत में तेल भंडार बनाने का विचार दिया था।

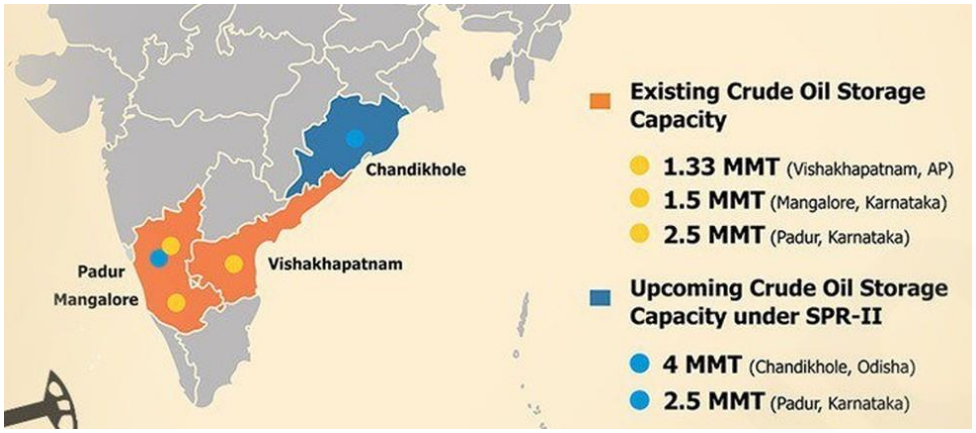

भारतीय पेट्रोलियम भंडार के स्थान

• भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम, कई चरणों में विकसित किया जा रहा है।

• पहले चरण में, सामरिक तेल भंडार मंगलोर (1.55 एम.एम.टी., कर्नाटक), पाडुर (2.5 एम.एम.टी., कर्नाटक) और विशाखापत्तनम (1.33 एम.एम.टी., ओडिशा) में बनाया गया है।

• इसकी कुल भंडारण क्षमता 5.33 मिलियन मिट्रिक टन है।

• द्वितीय चरण में, चंडीखोल (ओडिशा) और उदुपी (कर्नाटक) में दो अन्य भूमिगत भंडार विकसित किए जाएंगे, जो 6.5 मिलियन मिट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता प्रदान करेंगे। यह 12 दिनों के राष्ट्रीय उपभोग की मात्रा होगी।

भारत को सामरिक पेट्रोलियम भंडार की आवश्यकता क्यों है?

• भारत, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े आयातकों और उपभोक्ताओं में से एक है।

• इस कारण से, भारत, वैश्विक तेल के झटके की चपेट में है, जो आर्थिक, राजनीतिक या प्राकृतिक किसी भी कारण से हो सकता है।

• वर्ष 1990 में, खाड़ी युद्ध ने भारत में एक ऊर्जा संकट पैदा किया था, जो उस समय था जब भारत का तेल भंडार केवल तीन दिनों के लिए पर्याप्त था।

• वर्ष 2030 तक 40% बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित संसाधनों पर निर्भर होने की प्रतिबद्धता के बावजूद जीवाश्मों पर भारत की निर्भरता जल्द ही नीचे जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है।

नोट: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान सबसे बड़े वैश्विक सामरिक पेट्रोलियम भंडार वाले राष्ट्र हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

gradeup

राजनीति और शासन समसामयिकी अप्रैल २०२०

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co